



सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक लेखा  
2019-20



## हमारे बारे में



राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना दिनांक 28 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित गजट अधिसूचना के माध्यम से धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत न्यास के रूप में भारत सरकार, संस्कृति विभाग (अब संस्कृति मंत्रालय) द्वारा की गई थी। हम संरक्षित या अन्यथा स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, रक्षण, उन्नयन और विकास के लिए निधियां सृजित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि को दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (पप) के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट के लिए पात्र है।

# राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक रिपोर्ट एवं  
लेखाओं का विवरण  
वर्ष 2019 – 2020 के लिए



# प्राक्कथन

वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन. सी. एफ.) ने अपनी चालू परियोजनाओं के पुनर्निर्माण और सुदृढीकरण पर अपने जोर को सतत जारी रखा और उनको पूरा करने का प्रयास किया है।

न केवल इसने नये भागीदार बनाये हैं बल्कि अपने मौजूदा भागीदारियों को समग्र रूप से अंतिम रूप देने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।

भारत की संपन्न संस्कृति एवं विरासत को परिरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने के प्रति जागरूकता और आवश्यकता के कारण एन. सी. एफ. के कार्यकलाप एवं काय 'वर्ष-दर-वर्ष बढ़े हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में विरासत के परिरक्षण एवं संरक्षण में सहायक होने के लिए वर्ष 2019-20 में एन सी एफ के सतत प्रयासों को रिकार्ड किया जा रहा है। एन सी एफ सरकार, कॉरपोरेट क्षेत्र और सिविल सोसायटी के लिए ब्राण्ड छवि होने के लिए उत्तरदायित्व और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करता है।

विरासत संरक्षण और कला एवं संस्कृति के विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा एन सी एफ आगामी वर्षों में उक्त क्षेत्र को विकसित करना और उसमें सकारात्मक योगदान देना जारी रखेगा।



कोलहुआ, बिहार



## विषय सूची

1) राष्ट्रीय संस्कृति निधि का परिचय	3
2) दानकर्ता को लाभ	4
3) प्रबंधन, प्रशासन एवं संरचना	4
4) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के उद्देश्य :	6
5) 2019-20 की मुख्य विशेषताएं	6
(i) कॉर्पस निधि	6
(ii) 2019-20 में पूर्ण परियोजनाएं	7
(क) अशोक स्तंभ, कोल्हुआ, बिहार में पर्यटक अवसंरचना सुविधाएं	7
➤ अशोक स्तंभ, कोल्हुआ, बिहार में पर्यटक अवसंरचना सुविधाएं	7
➤ कन्हेरी गुफाएं, मुंबई में पर्यटक अवसंरचना सुविधाएं	8
(iii) 2019-20 में नई पहलें	8
क) राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल का विकास	8
ख) एसआई-एनसीएफ-आईओसी-आईओएफ के अंतर्गत स्मारकों का जीर्णोद्धार एवं विकास	9
➤ सी कैथेड्रल, गोवा में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	9
➤ वारंगल किला, तेलंगाना में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	9
6) चालू परियोजनाएं : 2019-20	11
(i) चालू एवं अल्पकालिक परियोजनाओं की सूची	11
(ii) चालू परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा	12
(क) निष्पादन कलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण	12
(ख) एसआई-एनसीएफ-आईओसी-आईओएफ के अंतर्गत स्मारकों का उन्नयन एवं अनुरक्षण	12
(क) खजुराहो मंदिर समूह, म.प्र.	13
(ख) वृहदेश्वर मंदिर, थंजावुर, त.ना.	13
(ग) भोगानंदीश्वर मंदिर, बंगलोर, कर्नाटक	14
ग) राजा दिनकर केलकर संग्रहालय के नए भवन का संरक्षण	15
(घ) लोधी मकबरा, नई दिल्ली का संरक्षण, परिरक्षण एवं भूचित्रण	16
(ङ.) लौरिया नंदनगढ़, बिहार में अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं का विकास	16
(च) कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास	16
(छ) हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का सुधार	16
(ज) आलमबाजार मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	17



(झ) इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बद, बीजापुर, कर्नाटक के बागों का पुनर्जीवन	18
(ञ) विक्रमशिला, बिहार स्थित स्मारकों के समूह के परिवेश का संरक्षण एवं विकास	18
(ट) प्राचीन शिव मंदिर, अंबरनाथ, महाराष्ट्र का संरक्षण, परिरक्षण एवं विकास	19
(ठ) अहोम स्मारक, असम का संरक्षण	19
(ड) हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का उन्नयन	20
(ढ) भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र का संरक्षण एवं विकास	21
(ण) पूर्व ब्रिटिश रेसीडेंसी, हैदराबाद का संरक्षण और पुनः उपयोग	21
(त) सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय, वाराणसी (उ. प्र.) का उन्नयन	21
(थ) राष्ट्रीय स्मारकों पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन	23
(द) जैसलमेर किले के लिए स्थल प्रबंधन योजना की तैयारी	23
(iii) चालू अल्पकालिक परियोजनाएं	24
(क) रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, पुष्कर (राजस्थान) के लिए डी पी आर की तैयारी	24
(ख) नालंदा स्थल संग्रहालय, बिहार के लिए डी पी आर की तैयारी	25
7) लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण	26
क. तुलन पत्र	26
ख. आय	27
ग. सामान्य	27
घ. सहायता अनुदान	27
ड. प्रबंधन पत्र	28
अनुबंध	29
संलग्नक	30
प्रबंधन पत्र का अनुबंध	31
लेखा परीक्षक का रिपोर्ट	32
राष्ट्रीय संस्कृति निधि	33-55

## 1) राष्ट्रीय संस्कृति निधि का परिचय

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना दिनांक 28 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित गजट अधिसूचना के माध्यम से धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत न्यास के रूप में भारत सरकार, संस्कृति विभाग (अब संस्कृति मंत्रालय) द्वारा की गई थी।

एन सी एफ की परिकल्पना संस्कृति से संबंधित प्रयासों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बनाकर लोगों का बौद्धिक एवं वित्तीय, दोनों समर्थन प्राप्त करने की व्यवस्था के रूप में की गई थी।

भारत की संस्कृति सबसे पुरानी एवं अद्वितीय संस्कृतियों में से एक है। भारत में एक विस्मयकारी सांस्कृतिक विविधता है, जिसका परिणाम धर्म, भाषा, वास्तुकला, परम्परा एवं रीति-रिवाज की अद्वितीय बहुलता है। इस भारतीयता को आने वाले समय में बिना बिखरे और बिना बाधा के खिलने के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित शब्दों में सांस्कृतिक अधिकार की गारंटी देता है –

“भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग, जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, को इसको संरक्षित करने का अधिकार है।”

हमारे संविधान में निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं के रक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण और विकास का सतत् प्रयास किया है।

यह अनुभव किया गया है कि संस्कृति पर खर्च व्यर्थ का खर्च नहीं है, वरन् मानव एवं सामाजिक विकास के लिए योगदान है। हमारे देश में भूतकालीन संस्कृति के वृहत् अवशेष को भारत में सांस्कृतिक वित्त पोषण के प्रतिमानों में उपयुक्त समायोजन एवं नवाचार द्वारा सर्वोत्तम तरीके से परिरक्षित किया जाना है। अतः कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेवारी और हमारे विरासत संसाधनों की सततता के बीच संयोजन का पता लगाना महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि देश का लक्ष्य अपने विरासत संसाधनों को बनाए रखने का प्रयास है, कारपोरेट क्षेत्र सतत् विरासत प्रबंधन और परिरक्षण की प्रक्रिया में एक भागीदार और प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

सांस्कृतिक परिरक्षण के लिए सामाजिक मांग उपलब्ध सरकारी संसाधनों को पीछे छोड़ चुका है और अतः इसे सरकारी एजेंसियों का निजी एजेंसियों के साथ सक्रिय भागीदारी से पूरा किया जाना है।

उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए भारत सरकार, संस्कृति विभाग (अब संस्कृति मंत्रालय) द्वारा 28 नवम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के जरिए धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन सी एफ) की स्थापना की गई थी।

एन सी एफ सांस्कृतिक निधियन का एक नवाचारी प्रतिमान है, जो भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत के प्रवर्धन एवं परिरक्षण में संस्थानों और व्यक्तियों को अपनी सही भूमिका निभाने में समर्थ बनाता है और बड़े पैमाने पर समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक अपेक्षा को वित्तपोषित करता है।

सी एस आर के तहत एन सी एफ के जरिए परियोजनाओं का निधियन इस बात की मान्यता देता है कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी केवल अनुपालन ही नहीं है, उन पहलों के समर्थन की प्रतिबद्धता है, जो प्रमुखतः राष्ट्रहित में पहलों को पर्याप्त रूप से सुधारता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी नीति) नियम, 2014 के तहत यथा अधिसूचित अनेक फोकस क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण के लिए सी एस आर निधियन को सी एस आर नीति के निम्नलिखित खंड में कवर किया जा सकता है –

“ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों और कला वस्तुओं के परिरक्षण सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का रक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; परम्परागत कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास।”



एन सी एफ अपने संरक्षण के अंतर्गत अधिकृत कार्यकलापों के लिए भारतीय संसद और दानकर्ताओं के प्रति अंतर्निहित जिम्मेदारी में सम्मिलित है। व्यापक रूप में, एनसीएफ की परिकल्पना निगमित और सार्वजनिक क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ भागीदारी और सहभागिता में कार्य करने के लिए की गई है, जिससे वे मूर्त और अमूर्त संस्कृति और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के संरक्षण, परिरक्षण और विकास के प्रति योगदान कर सकें।

इसके साथ-साथ एन सी एफ अंतर-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने, नई वीथिकाओं एवं संग्रहालयों के सृजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों में कौशल वर्धक व्यावसायिक प्रशिक्षण देने/आयोजन करने का प्रयास कर रहा है।

इन विविध पहलों, कार्यक्रमों और विचारों के जरिए एन सी एफ भारत की संपन्न सांस्कृतिक संपदा (मूर्त और अमूर्त दोनों) के परिरक्षण, संरक्षण और अनुरक्षण के विशेष संदर्भ के साथ विरासत जागरूकता को बढ़ाना और इसका नेतृत्व करना चाहता है और भारत की विरासत के ज्ञान एवं प्रशंसा के प्रसार के लिए प्रयास कर रहा है।

## 2) दानकर्ता को लाभ

एन सी एफ के साथ भागीदारी के लिए आगे आने वाले दानकर्ता को निम्नलिखित सहित अनेक लाभ हैं :

- 1) राष्ट्रीय संस्कृति निधि हेतु दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (ii) के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट का पात्र है।
- 2) एनसीएफ आयकर छूट के लिए रसीद जारी करता है और दानों के उपयोग का विस्तृत लेखा देता है।
- 3) प्रत्येक परियोजना के खाते का विवरण एन सी एफ के खाते में समन्वित होता है, जिसका वार्षिक आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है।
- 4) एनसीएफ के अंतर्गत दानकर्ता के लिए निधियन की किसी विशिष्ट पहलू और परियोजना के निष्पादन के लिए एक एजेंसी की पहचान सहित एक मूर्त या अमूर्त परियोजना या एक स्मारक की पहचान करना संभव है।
- 5) परियोजना को एक संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) के माध्यम से क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है, जिसमें एन सी एफ, कार्यान्वयन एजेंसी और दानकर्ता का एक प्रतिनिधि हो।
- 6) प्रत्येक विकास स्थल पर पट्टिका लगाने का प्रावधान किया गया है जो दानदाताओं, सहयोगकर्ताओं तथा भागीदारों के आभार को सुगम बनाता है।
- 7) प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग संयुक्त बैंक खाता होता है, जो एन सी एफ के प्रतिनिधि तथा दानदाता/निधियन एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा परिचालित होता है।

## 3) प्रबंधन, प्रशासन एवं संरचना

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का प्रबंधन एक परिषद एवं कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है। परिषद के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री हैं। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाती है।

परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या चौबीस की है, जिसमें अधिकतम उन्नीस प्रख्यात सदस्य निगमित एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी प्रतिष्ठानों एवं गैर लाभकारी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।

परिषद		
1	माननीय संस्कृति मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2	सचिव (संस्कृति)	सदस्य (पदेन)
3	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
4	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
5.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य सचिव (पदेन)
6	उप सचिव/निदेशक , संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
7.	श्री एस.एम. गर्ग	सदस्य
8.	श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य
9.	पद्म श्री डॉ. आर.एस. बिष्ट	सदस्य
10.	श्री दिवय गुप्ता	सदस्य
11.	सुश्री देविका	सदस्य
12.	डॉ. सव्यसाची मुखर्जी	सदस्य
13.	डॉ. भरत शर्मा	सदस्य
14.	श्रीमती ज्योत्स्ना सुरी	सदस्य
15.	श्री नकुल आनंद	सदस्य
16.	श्री दिलीप चैनोय	सदस्य
17.	श्री ओमवीर सिंह त्यागी	सदस्य
18.	श्रीमती किरण नदार	सदस्य
19.	श्री विशाल गोयल	सदस्य
20.	श्री पद्म कुमार जे.आर.	सदस्य
21.	श्री विपिन मल्हान	सदस्य
22.	श्री टी.एन. चौरसिया	सदस्य
23.	श्री विनोद फोतेदार	सदस्य
24.	श्री मनीष त्रिपाठी	सदस्य

कार्यकारी समिति		
1	सचिव (संस्कृति)	अध्यक्ष (पदेन)
2	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
3	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
4	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य (पदेन)
5	उप सचिव/निदेशक , संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य सचिव (पदेन)
6.	श्री एस.एम. गर्ग	सदस्य
7.	श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य
8.	डॉ. भरत शर्मा	सदस्य
9.	श्री नकुल आनंद	सदस्य
10.	श्री दिलीप चैनोय	सदस्य

#### 4) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के उद्देश्य :

- (क) संरक्षित स्मारकों या अन्य स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, रक्षण, उन्नयन एवं विकास के लिए निधियां जुटाना एवं उसका उपयोग करना।
- (ख) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों के पुनर्वास के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं पर अनुसंधान एवं अध्ययन शुरू करना।
- (ग) सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में व्यावसायिकों एवं स्टाफ कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (घ) कलात्मक प्रयत्नों के सभी स्वरूपों, विशेषकर कलाओं में नवाचारी प्रयोगों को, संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना।
- (ङ.) विद्यमान संग्रहालयों में अतिरिक्त जगह बनाना तथा नवीन एवं विशिष्ट वीथिकाएं सृजित करने या समाहित करने हेतु नए संग्रहालय का निर्माण करना।
- (च) समाज के सांस्कृतिक विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, नगर-निकायों अथवा क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाना।
- (छ) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संवर्धन एवं परिरक्षण में संलग्न संगठनों, सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराना।
- (ज) भारत एवं अन्य देशों के बीच अनुबंधित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के दायरे में स्वदेशी विशेषज्ञता और मानव संसाधन तथा कार्यकलापों के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- (झ) विरासतों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं या किसी अन्य गतिविधि के लिए कम ब्याज पर, यहां तक कि ब्याज रहित ऋण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

#### 5) 2019-20 की मुख्य विशेषताएं

##### (i) कॉर्पस निधि

31 मार्च, 2020 (वित्त वर्ष 2019-20) को राष्ट्रीय संस्कृति निधि की वित्तीय स्थिति

31 मार्च, 2020 को एन सी एफ के पास उपलब्ध कुल राशि रु. 53.74 करोड़ है।

प्रारंभिक कॉर्पस : रु. 19.5 करोड़

द्वितीयक कॉर्पस : रु. 34.24 करोड़

कुल कॉर्पस : रु. 53.74 करोड़

## (ii) 2019–20 में पूर्ण परियोजनाएं

एसआई-एनसीएफ-इंडियन ऑयल कारपोरेशन और इंडियन ऑयल कारपोरेशन प्रतिष्ठान (आईओएफ) परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य को पूरा किया गया :


### (क) अशोक स्तंभ, कोल्हुआ, बिहार में पर्यटक अवसंरचना सुविधाएं

#### ➤ अशोक स्तंभ, कोल्हुआ, बिहार में पर्यटक अवसंरचना सुविधाएं

अशोक स्तंभ कोल्हुआ, वैशाली में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है और यह वैशाली पुरातत्वीय अवशेष परिसर की भीतर स्थित है। शेर स्तंभ के रूप में विख्यात वैशाली में अशोक स्तंभ का निर्माण कलिंग युद्ध में विजय के बाद राजा अशोक द्वारा ईसा पूर्व तीसरी सदी में किया गया। ग्रीक-बौद्ध शैली द्वारा प्रभावित यह 18.3 मी. उंचा स्तंभ घंटी आकार की मुख्य संरचना से घिरा अत्यधिक चमकदार लाल बलुआ पत्थर के एक खंड से बना हुआ है। शेर की एक आदमकद प्रतिमा उत्तर की दिशा में इस स्तंभ के ऊपर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा में है।



इस स्तंभ का बौद्धों के लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह वहीं स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और अपने परिनिर्वाण की घोषणा की। इस स्तंभ को अत्यधिक पूर्णता से परिरक्षित किया गया है और यह अभी भी अक्षुण्ण है। यह अशोक द्वारा बनवाया गया प्रारंभिक छह एकचट्टानी स्तंभों में से एक है।



अशोक स्तंभ कोल्हुआ

स्थल पर निम्नलिखित सुविधाओं का विकास किया गया है—


- प्रकाशन काउंटर एवं टिकट काउंटर भवन
- प्रदर्शन वीथिकाएं
- वीआईपी के लिए बैठने का लाउंज
- जलपान गृह, प्रसाधन प्रखंड, संकेतक, बैठने का स्थान
- भूचित्रण, पगडंडी
- सौर उर्जा एवं डीजी सेट का प्रावधान
- प्रकाशन काउंटर एवं टिकट काउंटर भवन
- श्रव्य-दृश्य सभागार के साथ विवेचन केंद्र

परियोजना पूर्ण होने की तिथि

: 31/08/2019

➤ कन्हेरी गुफाएं, मुंबई में पर्यटक अवसंरचना सुविधाएं

संजय गॉंधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई के जंगलों के भीतर स्थित कन्हेरी गुफाएं कर्ला एवं अजंता गुफाओं के साथ भारत में प्रारंभिक गुफा मंदिरों में से हैं। वृहत् बेसाल्ट पत्थरों से तराशा हुआ इस प्राचीन स्मारक में बुद्ध और बोधिसत्व के महत्वपूर्ण आरामगाह हैं। यह कोंकण तट पर एक



महत्वपूर्ण बौद्ध बस्तियां थीं। कन्हेरी मौर्य एवं कुषाण राजवंशों के दौरान एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। कन्हेरी संस्कृत के कृष्णागिरी से आया है, जिसका अर्थ काला पहाड़ है।

कन्हेरी गुफाएं संजय गॉंधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में गुफाओं और बड़े बेसाल्ट में कटा हुआ पत्थर के कटे हुए स्मारकों का समूह है। इसमें पहली शताब्दी ईसा से 10वीं शताब्दी ईसा के बीच बना हुआ बुद्ध की मूर्तियां और राहत नक्काशी, चित्र एवं शिलालेख हैं।

गुफा परिसर में पहली शताब्दी ईसा से 10वीं शताब्दी ईसा के बीच बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ एक सौ नौ गुफाएं हैं।

स्थल पर निम्नलिखित सुविधाओं का विकास किया गया है—

- प्रवेश द्वार और दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक्त रैम्प के साथ उच्च सीढ़ियों का सुधार
- टिकट काउंटर एवं प्रकाशन काउंटर भवन
- विवेचन केंद्र
- देखने के लिए ऊपर प्लेटफार्म की सुविधाओं के साथ जलपान गृह भवन
- प्रदर्शनी के लिए बहु-उद्देश्यीय कक्ष
- गहरे ट्यूबवेल और डीजी सेटों का संस्थापन
- प्रसाधन प्रखंड, संकेतक, बैठने का स्थान और
- सौर उर्जा एवं डीजी सेट का प्रावधान

परियोजना पूर्ण होने की तिथि : 31/08/2019

(iii) 2019–20 में नई पहलें

एन सी एफ का प्राथमिक अधिदेश विरासत के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की स्थापना एवं पोषण है। एन सी एफ की भूमिका निजी, सार्वजनिक, सरकारी, गैर-सरकारी एजेंसियों, निजी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के बीच संबंध को प्रेरित करना है और भारत की संपन्न, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त विरासत के संस्थापन, संरक्षण, रक्षण और विकास के लिए संसाधनों को लामबंद करना है।

क) राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल का विकास

25वीं कार्यकारी परिषद ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल, गुजरात (संस्कृति मंत्रालय और पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय) को रु. 15 करोड़ की निधि आबंटित करने की सहमति दी है।

ख) एएसआई-एनसीएफ-आईओसी-आईओएफ के अंतर्गत स्मारकों का जीर्णोद्धार एवं विकास  
समझौता ज्ञापन के पक्षकार : एएसआई-एनसीएफ-इंडियन ऑयल कारपोरेशन एवं इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान (आईओएफ)

परियोजना विवरण : निम्नलिखित स्मारकों का जीर्णोद्धार एवं विकास

➤ सी कैथेड्रल, गोवा में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास

सी कैथेड्रल समूह के बीच सबसे बड़ा चर्च है। चर्च में मुख्य बेदी के अलावा गलियारा के साथ आठ छोटे गिरिजाघर और अनुप्रस्थ भाग में छह बेदियां हैं। यहां लंबा नैव, दो गलियारे और एक अनुप्रस्थ भाग है। वास्तुगत रूप से भवन पुर्तगाली गोथिक शैली में है; भवन का बाहरी भाग तुस्कान है और आंतरिक भाग कोरिन्थियन। मुख्य बेदी अलेक्जेंड्रिया के संत कैथेरिन को समर्पित है। संपन्नता से गढ़ा गया पैनल संत की शहादत को दर्शाता है।



प्रस्तावित सुविधाएं हैं –

- हरियाली के साथ पार्किंग क्षेत्र
- जलपान गृह, पहुंच पगडंडी
- बैठने का स्थान, प्रसाधन प्रखंड एवं पेयजल सुविधाएं
- दर्शक परिचालन पथ, भूचित्रण
- प्लास्टिक बोतल तोड़ने की मशीन
- सुविधाओं, संकेतकों का विद्युतीकरण

एएसआई से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि : 02/07/2019

➤ वारंगल किला, तेलंगाना में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास

वारंगल किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकितेय शासन के दौरान हुआ था और यह सबसे महत्वपूर्ण वारंगल ऐतिहासिक स्थान है। वारंगल किला अपने सुंदर एवं नियत रूप से गढ़ित मेहराबों एवं स्तंभों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इस किले में चार बड़े पत्थर के द्वार हैं। इसका निर्माण तब किया गया जब काकितेय राजवंश की राजधानी हनमकोंडा से वारंगल

स्थानांतरित किया गया था। यह वास्तुकला में उत्कृष्टता और संपन्न इतिहास का एक ठीक उदाहरण है। किले के अवशेष को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है।



वारंगल किला, तेलंगाना

परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधाएं हैं –

- किले के इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ खुला आकाश संग्रहालय
- पगडंडी, बाहरी परिधीय सड़क, दर्शक परिचालन पथ, भूचित्रण
- दर्शक परिचालन पथ
- किले का प्रदीप्तन
- मध्य क्षेत्र में स्थानों के साथ किले की चित्रावली
- सुविधाओं का विद्युतीकरण, बेंच, संकेत

विकसित की जानेवाली सुविधाओं को अंतिम रूप देने के लिए एएसआई के साथ दिनांक 13/06/2019 को संयुक्त स्थल दौरा किया गया।

6) चालू परियोजनाएं : 2019-20

(i) चालू एवं अल्पकालिक परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना	एम ओ यू पर हस्ताक्षर	प्रायोजक
क)	निष्पादन कलाओं एवं कला के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण	12/01/2000	एनसीएफ-दुर्गापुर बाल संस्कृति अकादमी
ख)	क. खजूराहो समूह मंदिर, म.प्र. में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास ख. वृहदेश्वर मंदिर, थंजावुर का फलक प्रदीप्तन ग. भोगानंदीश्वर मंदिर, बंगलुरु, कर्नाटक में संरक्षण कार्य एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास	30/3/2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
ग)	संग्रहालय नगर परियोजना : संग्रहालय के नए भवन का निर्माण एवं संग्रह एवं संग्रहालय सुविधाओं का पुनर्वास	12/04/2002	एनसीएफ-राजा दिनकर केलकर संग्रहालय
घ)	लोधी मकबरा, नई दिल्ली का संरक्षण, परिरक्षण एवं भूचित्रण	10/1/2006	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ङ.)	लौरिया नंदनगढ़, बिहार में अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं का विकास	18/12/2007	बोकारो इस्पात संयंत्र
च)	कृष्णा मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास	12/6/2008	हम्पी प्रतिष्ठान एवं विश्व स्मारक निधि
छ)	हिडिम्बा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का सुधार	15/7/2008	यूको बैंक, चंडीगढ़
ज)	आलमबाज़ार मठ परियोजना, कोलकाता पश्चिम बंगाल का नवीकरण, पुनर्निर्माण	14/10/2008	आलमबाज़ार मठ एवं एन सी एफ
झ)	इब्राहिम रौज़ा का बागीचा एवं गोल गुम्बज़, बीजापुर, कर्नाटक का पुनर्जीवन	11/12/2009	नौरस ट्रस्ट
ञ)	विक्रमशिला, बिहार के खुदाई स्थल का संरक्षण एवं विकास	22/12/2009	एन टी पी सी लि.
ट)	प्राचीन शिव मंदिर, अंबरनाथ, महाराष्ट्र का संरक्षण, परिरक्षण एवं विकास	25/02/2010	एसआई-एनसीएफ-नागरिक सेवा मंडल
ठ)	अहोम स्मारक, शिवसागर जिला, असम का संरक्षण 1. रंग घर 2. करेंगनघर (गढ़गांव) 3. तालातल घर (जॉयसागर) 4. चेरईदेव में मैडेम्स का समूह	29/6/2010	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी)
ड)	पर्यटक के लिए सुविधाएं प्रदान करते हुए पर्यावरण विकास, स्मारकों का प्रदीप्तन और हज़ारद्वारी राजमहल, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का उन्नयन	13/7/2010	भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता
ढ)	श्री भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र का संरक्षण एवं विकास	26/3/2013	श्रीमती उत्तरादेवी चैरिटेबल एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान



ण)	पूर्व ब्रिटिश रेसीडेंसी, हैदराबाद का संरक्षण और पुनः उपयोग	28/12/2013	एनसीएफ-आंध्र प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय और ओसमानिया विश्वविद्यालय
त)	सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय का उन्नयन	31/05/2017	सोनी इंडिया प्रा. लि.
थ)	राष्ट्रीय स्मारकों में चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन (दिनांक 9.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन)	19/11/2017	भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल)
द)	जैसलमेर एसएसआई-एनसीएफ-डब्ल्यूएमएफ परियोजना के लिए स्थल प्रबंधन योजना (एसएमपी) की तैयारी	किला 22/01/2013	डब्ल्यूएमएफ-एसआई

### अल्पकालिक परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	एम ओ यू पर हस्ताक्षर	प्रायोजक
क)	पुराना रंगनाथ मंदिर, पुष्कर (राजस्थान) के लिए डी पी आर की तैयारी	21/7/2011	वेणुगोपाल मंदिर ट्रस्ट एवं एन सी एफ
ख)	ए एस आई स्थल संग्रहालय, नालंदा, बिहार के लिए विस्तृत डी पी आर की तैयारी	16/04/2015	एन सी एफ

## (ii) चालू परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा

### (क) निष्पादन कलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 12/01/2000

वित्तपोषक/भागीदार : एनसीएफ-दुर्गापुर बाल संस्कृति अकादमी

परियोजना विवरण : निष्पादन कलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण

दुर्गापुर बाल संस्कृति अकादमी (डीसीएसी) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर-आसनसोल क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में निष्पादन कलाओं एवं संस्कृति को बढ़ावा देन में लगा हुआ है।

डीसीएसी की पहल का मुख्यतः जिला स्तर पर बहुत ही स्थानीय महत्व है। संगठन का उद्देश्य संस्कृति घटक के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद के पहलुओं सहित बहु-विषयक है।

### (ख) एसआई-एनसीएफ-आईओसी-आईओएफ के अंतर्गत स्मारकों का उन्नयन एवं अनुरक्षण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 30/03/2001

वित्तपोषक/भागीदार : ए एस आई-एन सी एफ-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल फाउंडेशन (आई ओ एफ)

परियोजना विवरण : निम्नलिखित 3 स्मारकों का जीर्णोद्धार और विकास

एन सी एफ और ए एस आई के जरिए इंडियन ऑयल संरक्षण कार्य को वित्तपोषित करेगा और विरासत स्थलों पर पर्यटकों के लिए विश्व-स्तरीय सुविधाएं विकसित करेगा।

निम्नलिखित पर पर्यटक/जन अवसंरचना सुविधाओं के विकास किया जा रहा है :

- क) मंदिर समूह खजुराहो, मध्य प्रदेश
- ख) वृहदेश्वर मंदिर, थंजावुर
- ग) भोगानन्दीश्वर मंदिर, बंगलोर, कर्नाटक

(क) खजुराहो मंदिर समूह, म.प्र.

खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश, भारत में हिन्दू और जैन मंदिरों का एक समूह है। झांसी से लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित ये भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से हैं। खजुराहो, प्राचीन खरज्जुरा वाहक अपनी तरह के विशिष्ट कला प्रतिमान और मंदिर वास्तुकला को प्रस्तुत करता है, जो चंदेल शासन के दौरान संपन्न और सृजनात्मक अवधि होने की गवाही देता है।

खजुराहो मंदिर समूह में पर्यटक सुविधाओं के विकास हैं :



क)पश्चिमी समूह मंदिर

- मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग, मुख्य एवेन्यू, जलपान गृह
- भूचित्रण एवं पगडंडी, टिकट काउंटर एवं प्रकाशन काउंटर भवन, श्रव्य-दृश्य सभागार के साथ विवेचन केंद्र, प्रदर्शन वीथिका
- प्रसाधन प्रखंड, संकेतक और बैठने का स्थान
- सुरक्षा केबिन वाले संशोधित चाहरदीवारी के साथ स्मारक का प्रवेश द्वार
- परियोजना स्थल से लगे शिवसागर झील से गाद हटाना एवं इसका सौंदर्यीकरण

ख) पूर्वी मंदिर समूह – पार्किंग, भूचित्रण, बैटरी चालित वाहनों के लिए चौड़ी पगडंडी, टिकट काउंटर के साथ सुरक्षा केबिन, प्रसाधन खंड, संकेतक, पेयजल आदि

दक्षिणी समूह मंदिर – भूचित्रण, पगडंडी, सुरक्षा केबिन, संकेतक

(ख) वृहदेश्वर मंदिर, थंजावुर, त.ना.

11वीं सदी में निर्मित वृहदेश्वर मंदिर एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और विलक्षण दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है।  
मुख्य मंदिर का फलक प्रदीप्तन का काम चल रहा है।



#### (ग) भोगानंदीश्वर मंदिर, बंगलोर, कर्नाटक

9वीं से 15वीं सदी के बीच बना भोगानंदीश्वर मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से द्रविड़ शैली के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। दुहरे महाद्वार के साथ 112.8 मी. x 76.2 मी. क्षेत्र में अपने ही प्राकार से घिरा इस परिसर में भोगानंदीश्वर (उत्तर) और अरुणाचलेश्वर (दक्षिण) के रूप में शिव को समर्पित जुड़वां मंदिर है। दोनों के बीच एक छोटा मंदिर है। भोगानंदीश्वर मंदिर बंगलोर ग्रामीण जिला में नंदी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। विकसित की जा रही सुविधाएं हैं –




- छोटा जलपान गृह (अर्द्ध खुला)
- दर्शक वीथिका
- प्रसाधन खंड

- पेयजल किओस्क, अमानती सामान गृह
- बैठने के लिए बेंचों के साथ पार्किंग क्षेत्र
- भूचित्रण कार्य एवं संकेतक
- सौर उर्जा 13 केवीए का प्रावधान

ग) राजा दिनकर केलकर संग्रहालय के नए भवन का संरक्षण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 12/04/2002  
वित्तपोषक/भागीदार : एनसीएफ-राजा दिनकर केलकर संग्रहालय  
परियोजना विवरण : संग्रहालय नगर परियोजना : संग्रहालय के नए भवन का निर्माण एवं संग्रह एवं संग्रहालय सुविधाओं का पुनर्वास

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय (आरडीकेएम) के पास कवि, संग्रहकर्ता और कला मर्माज्ञ पद्मश्री स्व. डॉ. डी जी केलकर (1896-1990) का संग्रह है। संकलन में संगीत उपकरणों, वस्त्र, धातु की उपयोगी वस्तुएं, मूर्तियां, कांस्य, लकड़ी की कला वस्तुएं, पांडुलिपियां हैं, जो डॉ. केलकर ने 1975 में संग्रहालय को दान में दिया था।




राजा दिनकर केलकर संग्रहालय आरडीकेएम के लिए नए परिसर की स्थापना के लिए बजट के संबंध में यह सहमति बनी है कि आरडीकेएम और एनसीएफ निजी क्षेत्र, आमजन एव सरकार सहित से इस उद्देश्य हेतु निधियां उगाही करने एवं दान सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करेगा। एनसीएफ ने परियोजना की पुनरीक्षा का भी निर्णय लिया है, ताकि इसके कार्यक्षेत्र को सरल एवं कारगर बनाया जा सके।

(घ) लोधी मकबरा, नई दिल्ली का संरक्षण, परिरक्षण एवं भूचित्रण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 10/01/2006  
वित्तपोषक/भागीदार : ए एस आई-एन सी एफ-भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.  
परियोजना विवरण : लोधी मकबरा, नई दिल्ली का संरक्षण, परिरक्षण एवं भूचित्रण।

लोधी उद्यान में स्थित स्मारक पूर्व मुगल कालीन इमारतों के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और शहर के भीतर एक निशान की तरह खड़े हैं। लोदी का मकबरा प्रसिद्ध लोदी उद्यान के बीचोंबीच में स्थित है।



विशिष्ट स्मारकों एवं उनके पर्यावरण के संरक्षण के लिए निधियों के अंशदान द्वारा कुछ स्मारकों को लेने हेतु एएसआई एवं एनसीएफ ने सेल से पेशकश की। उन्होंने संयुक्त रूप से संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण एवं भूचित्रण के लिए लोदी उद्यान के भीतर स्थित निम्नलिखित स्मारकों की पहचान की है :

- (क) सिकंदर लोदी का मकबरा
- (ख) शीश गुंबद
- (ग) बड़ा गुंबद, मस्जिद
- (घ) मोहम्मद शाह का मकबरा
- (ङ.) आठपुला (पुराना लोदी पुल)


#### (ड.) लौरिया नंदनगढ़, बिहार में अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं का विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 18/12/2007

निधिदाता/भागीदार : एएसआई-एनसीएफ-बोकारो इस्पात संयंत्र

परियोजना विवरण : बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ और चंकी गढ़ एवं रामपुरवा में अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का विकास

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़, चंकी गढ़ एवं रामपुरवा में स्थित स्मारकों और स्थलों में पर्यटक सुविधाओं और उद्यानों के विकास के लिए कार्य योजना और कार्य का क्षेत्र प्रस्तुत किया जाना है।



#### (च) कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 12/06/2008

वित्तपोषक/भागीदार : ए एस आई-एन सी एफ- हम्पी फाउण्डेशन-डब्ल्यू एम एफ

परियोजना विवरण : कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास।

#### कृष्ण मंदिर, हम्पी

इस मंदिर का निर्माण राजा (कृष्णदेव राय) ने 1513 ई0 में कराया था। इस मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति बालकृष्ण (भगवान कृष्ण का शिशु रूप) की प्रतिमा थी। यह मूर्ति अब राज्य संग्रहालय, चेन्नई में प्रदर्शित की गई है। यह ऐसे बहुत कम मंदिरों में से एक है जिनमें मीनार की दीवारों पर महागाथाएं उत्कीर्ण हैं। यह सचमुच विजयनगर युग के मंदिर का एक सही क्षतिरहित नमूना है।



#### (छ) हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का सुधार

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 15/07/2008

वित्तपोषक/भागीदार : ए एस आई-एन सी एफ-यूको बैंक

परियोजना विवरण : हिडिम्बा देवी मंदिर में पर्यटक सुविधाओं का सुधार

हिडिम्बा देवी मंदिर मनाली में स्थित है जिसे हिडिम्बा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत की एक देवी को समर्पित प्राचीन गुफा मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की तलहटी में देवदार वन से घिरा हुआ है। यह मंदिर जमीन से निकली एक बड़ी चट्टान के ऊपर बना है, जिसकी पूजा एक देवी के रूप में की जाती थी। इस मंदिर का निर्माण 1553 में हुआ था।



हिडिम्बा देवी मंदिर में बारीक नक्काशी वाले लकड़ी के दरवाजे हैं और मंदिर के ऊपर लकड़ी का 24 मीटर ऊंचा 'शिखर' या मीनार है। इस मीनार में लकड़ी के पट्टों से ढकी हुई तीन चौकोर छतें हैं और चोटी पर चौथी शंक्वाकार छत पीतल की है। मुख्य द्वार की नक्काशी का मुख्य विषय पृथ्वी देवी दुर्गा है। काम के क्षेत्र को संशोधित करने के लिए समझौता ज्ञापन के शुद्धि पत्र पर ए एस आई, एन सी एफ और यूको बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं।

एएसआई योग्य एवं अनुभवी वास्तुकार का नियुक्त करके स्मारकों पर वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले व्यापक योजना तैयार करने के लिए जिम्मेवार होगा और एएसआई सीधे ही काम को निष्पादित करेगा या अपने समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत सक्षम एजेंसी के जरिए बाहर से काम कराएगा।

#### (ज) आलमबाजार मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 14 / 10 / 2008

वित्तपोषक / भागीदार : एएसआई-एनसीएफ-आलमबाजार मठ  
परियोजना विवरण : आलमबाजार मठ का नवीकरण, पुनर्निर्माण।

आलमबाजार मठ की स्थापना फरवरी, 1892 ई. में हुई थी। यहां पर स्वामी अभेदानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णानंद, गौरीमा तथा अन्यो के शिष्य एकत्र हुए थे और ध्यान योग, धार्मिक अनुष्ठान, लोक कल्याण के कार्य एवं पूजा-पाठ में आध्यात्मिक जीवन गुजारे थे।

इस परियोजना के दो घटक हैं :

- आलमबाजार मठ का जीर्णोद्धार, नवीकरण और परिरक्षण
- मौजूदा स्कूल, औषधालय इत्यादि का पुनर्वास, दूसरे स्थान पर ले जाना / सुधार।



### (झ) इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद, बीज़ापुर, कर्नाटक के बागों का पुनर्जीवन


समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 11/12/2009

वित्तपोषक/भागीदार : ए एस आई-एन सी एफ- मैसर्स नौरस न्यास

परियोजना विवरण : इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद, बीज़ापुर के बागों को हरा-भरा करना

कर्नाटक राज्य के बीज़ापुर, जिला-बीज़ापुर में स्थित मुहम्मद आदिल शाह (1626-56 ई.) का मकबरा, गोल गुम्बद भारतीय-इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इस भवन में एक विशाल वर्गाकार कमरा है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 50 मी. (160 फुट) की है और इसके ऊपर 37.9 मी. (124 फुट) व्यास का विशाल गुम्बद स्थित है जो इसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बदाकार भवन बनाता है। गोल गुम्बद की सबसे दिलचस्प और उल्लेखनीय विशेषता इसकी ध्वनि प्रणाली है। इस इमारत के भीतर मुहम्मद आदिल शाह, उनकी दो पत्नियों, उप पत्नी, पुत्री और पौत्र की कब्रें हैं।

गोल गुम्बद परिसर में एक उत्कृष्ट जल आपूर्ति प्रणाली भी है जैसा कि जल कुण्डों, फव्वारों सह कुण्ड, लिफ्ट सह कुंड और कुंओं से प्रतीत होता है।



ये बाग स्मारक की डिजाइन के अभिन्न भाग थे, जैसा कि बीजापुर के बाहर स्थित जहां बेगम (आदिल शाह की पत्नी) के अधूरे मकबरे में प्रदर्शित किया गया है। मूल बागों को समझने का महत्व दिखाई पड़ने से कहीं आगे तक जाता है जैसा कि इब्राहिम रौज़ा जिसका समय-समय पर बाढ़ से नुकसान हुआ है और गोल गुम्बद जहां लॉन में पानी देने के कारण इमारत के तलघर में नमी आने से रिसाव, में प्रदर्शित होता है।

इस परियोजना का उद्देश्य इस इमारत और बाग के बीच संबंध को यथासम्भव पुनः स्थापित करना है।

#### परियोजना के उद्देश्य -

- समकालीन उपयोगों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस ऐतिहासिक काल के भूपरिदृश्य संबंधी भावना और शैली को अपनाने के लिए इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद के बागों को हरा-भरा करना।
- इस अनुभव से ऐसी विधि का निर्माण करना जिसे इस क्षेत्र के अन्य बागों पर लागू किया जा सके। इसमें एक दल का गठन करना भी शामिल है जो इस युग के बागों का अध्ययन, विश्लेषण और संरक्षण कर सके।

### (ञ) विक्रमशिला, बिहार स्थित स्मारकों के समूह के परिवेश का संरक्षण एवं विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 22/12/2009

वित्तपोषक/भागीदार : ए एस आई-एन सी एफ-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) परियोजना

परियोजना विवरण : विक्रमशिला के उत्खनित परिवेश का संरक्षण एवं विकास

- विक्रमशिला विश्वविद्यालय

यह पाल वंश के दौरान भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध अध्ययन केन्द्रों में से एक था, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में तथाकथित कमी आने के प्रतिक्रिया स्वरूप विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल (783 से 820 ई.) ने कराई थी। विक्रमशिला बिहार में भागलपुर से लगभग 50 कि.मी. पूर्व दिशा में स्थित है।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थल



(ट) प्राचीन शिव मंदिर, अंबरनाथ, महाराष्ट्र का संरक्षण, परिरक्षण एवं विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 25/02/2010

वित्तपोषक/भागीदार : ए एस आई-एन सी एफ-नागरिक सेवा मंडल

परियोजना विवरण : प्राचीन शिव मंदिर, अंबरनाथ, महाराष्ट्र का संरक्षण, परिरक्षण एवं विकास

प्राचीन शिव मंदिर, अंबरनाथ, महाराष्ट्र



अम्बरनाथ, महाराष्ट्र का शिव मंदिर, जिसे अंबरेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है, 10वीं शताब्दी का भगवान शिव का समर्पित एक मंदिर है। यह हेमद शैली निर्माण में पत्थर से काटा गया एक सुंदर मंदिर है।

मंदिर परिसर के पुनर्स्थापन में अनुचित सीमेंट निशान का हटाना एवं दरारों को भरना, मंदिर के निकट प्राचीन कुँओं से गाद निकालना, मंदिर परिसर में दर्शक सुविधाएं प्रदान करना, मंदिर का प्रदीपन आदि शामिल है।

(ठ) अहोम स्मारक, असम का संरक्षण

समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि : 29/06/2010

वित्तपोषक/भागीदार : एएसआई-एनसीएफ-प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी)


परियोजना का विवरण : असम के शिव सागर जिले में स्थित निम्नलिखित चार अहोम स्मारकों का नवीकरण और अनुरक्षण :

- रंग घर



- कारेंग घर (गढ़गांव)
- तलातल घर (जयसागर)
- चेराई देव स्थित मैदम समूह (कब्रगाह)

शिवसागर, भगवान शिव का सागर, भारत के असम राज्य के शिवसागर जिले में गुवाहाटी से लगभग 360 कि.मी. (224 मील)



पूर्वोत्तर में एक कस्बा है। अपने इतिहास, संस्कृति और तालाबों के अलावा यह अहोम महलों और स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस स्थल के समीप ही ओ एन जी सी संयंत्र है।

ओएनजीसी ने एनसीएफ के परामर्श से असम के शिवसागर जिले में स्थित चार अहोम स्मारकों {रंग घर, कारेंग घर (गढ़गांव), तलातल घर (जयसागर), चेराई देव स्थित मैदम समूह} के नवीकरण और अनुरक्षण का काम शुरू करने के लिए एएसआई को

पेशकश की है। ओएनजीसी परियोजना के लिए अपेक्षित निधि का अंशदान करेगा। परियोजना का नाम "अमूल्य धरोहर" होगा। क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व और उसके दल के ज़रिए ए एस आई द्वारा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

#### (ड) हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का उन्नयन

समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि : 13/07/2010

वित्तपोषक/भागीदार : एएसआई-एनसीएफ-भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता

परियोजना का विवरण : पर्यटक के लिए सुविधाएं प्रदान करते हुए पर्यावरणीय विकास, स्मारकों का प्रदीप्तन और मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी महल संग्रहालय का उन्नयन

हजारद्वारी महल नवाब नाज़िम हुमायूं जाह के समय नव-शास्त्रीय शैली में निर्मित 41 एकड़ क्षेत्र में फैली तीन मंजिली इमारत है। इस महल की योजना समकालीन वास्तुकार कर्नल मैक्लेयोड डंकन ने 1829 से 1837 के बीच बनाई और कार्यान्वित की थी। इस आलीशान महल के भवन की मुख्य विशेषता है इसके सममितीय मोहरे (अग्रभाग) और डोरिक स्तम्भों पर सधे हुए त्रिभुजाकार त्रिकोणिका द्वारमण्डप तथा उत्तरी दिशा में



स्थित आलीशान सीढ़ियों से इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है। हजारद्वारी महल वर्ष 1977 में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और इसके अन्दर बने संग्रहालय को 1985 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपने पास ले लिया था।

(ढ) भुलेशुवर ढंदिर, ढुणे, ढहाराष्ट्र का संरक्षण एवं विकास

सढझौता ज्ञापन ढर हस्ताक्षर की तारीख : 26/03/2013

वित्तढोषक/ढागीदार : ँ एस आई-ँन सी ँफ- श्रीढती उत्तरादेवी चैरिटेबल ँंड रिसर्च ढाउंडेशन  
ढरियोजना विवरण : भुलेशुवर ढंदिर, ढुणे, ढहाराष्ट्र का संरक्षण एवं विकास

भुलेशुवर ढंदिर ँक शिव ढंदिर है, जो 14वीं शताढ्दी ढें ढलशिरास गांव ढें चूना ढोर्तार का ढुरयोग करके निर्ढित किया गया था। इसे चूना ढसाला का इस्तेढाल करके ढत्थर से ढनाया गया है। यह ँ एस आई के अंतर्गत राष्ट्रीय संरक्षित स्ढारक है। ढंदिर के सढढुख ँक हाल अथवा सढाढण्डढ का निर्ढाण ढाद ढें किया गया था, जबकि ढंदिर के ढाहरी ढाग ढें सुंदर गढ्ढित ढैनल हैं।



भुलेशुवर ढंदिर, ढुणे


ढरियोजना एस. ँ. ढुंढई ढरिक्षेत्र, ँ एस आई ढ्वारा कियान्वित की जा रही है।

(ण) ढूर्व ब्रिटीश रेसीडेंसी, हैदराढाद का संरक्षण और ढुनः ँढयोग

सढझौता ज्ञापन ढर हस्ताक्षर की तारीख : 28/12/2013

वित्तढोषक/ढागीदार : ँ एस आई-ँन सी ँफ- आंध्र ढ्रदेश राज्य ढुरातत्व निदेशालय एवं ओस्ढानिया विश्वविढ्यालय  
ढरियोजना विवरण : ढूर्व ब्रिटीश रेसीडेंसी, हैदराढाद का संरक्षण और ढुनः ँढयोग

ओस्ढानिया विश्वविढ्यालय ने 1924 ढें ढहिलाओं की शिक्षा के लिए ढहिला विश्वविढ्यालय कॉलेज, कोटि की स्थाढना की है। आंध्र ढ्रदेश सरकार ने ढहिला शिक्षा के उद्देश्य से ओस्ढानिया विश्वविढ्यालय को ढूर्व ब्रिटीश रेसीडेंसी का स्थान एवं ढवन ढिया है और रजिस्टरार, ओस्ढानिया विश्वविढ्यालय इस संपत्ति के संरक्षक हैं। ओस्ढानिया विश्वविढ्यालय ने विश्व स्ढारक निधि के सहयोग से ँक संरक्षण ढ्रबंधन योजना (सीँढढी) तैयार की है और ऐतिहासिक स्थल एवं ढवनों के ढुनर्स्थाढन एवं अनुकूली ढुनर्ढ्रयोग के लिए ँनसीँफ (ढ्वितीय ढक्ष), ँसडीँँढ (तृतीय ढक्ष) की साझेढारी ढें सीँढढी को कार्यान्वित करना चाहता है।



ओस्ढानिया विश्वविढ्यालय हैदराढाद


(त) सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय, वाराणसी (उ. ढ्र.) का उन्नयन

सढझौता ज्ञापन ढर हस्ताक्षर : 31/05/2017

वित्तढोषक/ढागीदार : ँँसआई-ँनसीँफ-सोनी इंडिया ढ्रा. लि.


परियोजना विवरण

: सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय का उन्नयन (एन सी एफ –दानकर्ता के बीच 30.03.2016 को हस्ताक्षरित प्रच्छत्र संगम ज्ञापन के तहत)



कार्य का लक्ष्य है –

- सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षा व्यवस्था (अद्यतन एनविट प्रणाली के साथ उन्नत सी सी टी वी का संस्थापन)
- संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर दर्शकों की तलाशी के लिए सुरक्षा एजेंसी से कार्मिक की नियुक्ति
- सारनाथ के उत्खनित अवशेषों के प्रवेश द्वार पर दर्शकों की तलाशी के लिए सुरक्षा एजेंसी से कार्मिक की नियुक्ति
- संग्रहालय में गृह व्यवस्था कर्मचारी
- सारनाथ के उत्खनित अवशेषों पर गृह व्यवस्था कर्मचारी
- पेड़ों के नीचे दर्शकों के लिए बैठक प्लाज़ा को विकसित किया जाना है।
- विवेचन केन्द्र का उन्नयन
- संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर गढ़ित शेड





#### (थ) राष्ट्रीय स्मारकों पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 19/11/2017

वित्तपोषक/भागीदार : एएसआई-एनसीएफ-भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

परियोजना विवरण : राष्ट्रीय स्मारकों पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन

(9.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत)

सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और रक्षण शुरू करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ), संस्कृति मंत्रालय और भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल) के बीच 9 मार्च, 2016 को एक प्रछत्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। बाद में निम्नलिखित ए एस आई स्मारकों पर चक्रद्वार के साथ दर्शक प्रबंधन समाधान प्रदान करने और ऑनलाइन टिकट प्रणाली (ई-टिकट सुविधा) के साथ समेकन के लिए एन सी एफ – ए एस आई – आई आई एफ सी एल के बीच एक त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन पर 19 नवंबर, 2017 को हस्ताक्षर हुआ।

चक्रद्वार टिकट प्रणाली को भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) की कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) पहल के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। यह प्रणाली निश्चित रूप से स्मारक परिसरों के भीतर दर्शकों को सुगम प्रवेश प्रदान करेगा। यह व्यवस्था पहले की प्रवेश व्यवस्था की तुलना में बहुत ही कमिक और बाधामुक्त है और इसमें कम समय लगता है।

#### (द) जैसलमेर किले के लिए स्थल प्रबंधन योजना की तैयारी

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 22/01/2013

वित्तपोषक/भागीदार : एएसआई-एनसीएफ-विश्व स्मारक निधि (डब्ल्यू एम एफ)

परियोजना विवरण : मै. संरक्षण हेरिटेज कन्सलटेंट प्रा. लि. द्वारा एसएमपी की तैयारी

मै. संरक्षण हेरिटेज कन्सलटेंट प्रा. लि. को रु. 38,37,400/- (अठतीस लाख सैतीस हजार चार सौ रूपए मात्र) + सेवा कर की कुल लागत से जैसलमेर किला (एएसआई-एनसीएफ-डब्ल्यू एम एफ परियोजना) के लिए एसएमपी (स्थल प्रबंधन योजना) की तैयारी का काम सौंपा गया है। एसएमपी का मुख्य उद्देश्य स्थल के लिए निहित प्राधिकरण के अधिदेश के अनुरूप भविष्य में किले के विकास के लिए दिशानिर्देशों का सृजन है। एसएमपी निवासियों द्वारा किले के उपयोग से संबंधित मामलों के समाधान के लिए भी आवश्यक था।

### (iii) चालू अल्पकालिक परियोजनाएं

एन सी एफ के कथित उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के पुनर्वास के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं पर अध्ययन एवं अनुसंधान आयोजित करना,
- सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में स्टाफ सदस्यों और व्यावसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना,
- सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रिकार्डिंग के मौखिक और अन्य अमूर्त रूपों का संवर्धन करना,
- मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण और रक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निधियों के सृजन के अलावा, एन सी एफ ने विरासत परियोजनाओं में संस्थानों को सहायता भी दी है। इस श्रेणी में एन सी एफ ने निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं :

#### (क) रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, पुष्कर (राजस्थान) के लिए डी पी आर की तैयारी

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 14/10/14

वित्तपोषक/भागीदार : एन सी एफ-द्रोहर (परामर्शदाता)

परियोजना विवरण : पुराने रंगजी मंदिर, पुष्कर के संरक्षण के लिए डी पी आर की तैयारी

श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर पुराना रंगजी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह 1844 में बना पुष्कर में सबसे पुराना द्रविड़ शैली का मंदिर है।

श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर परिसर द्रविड़ मंदिर वास्तुकला और राजस्थान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट संयोजन है और इसमें चूना मसाला से बना सड़क और पुराने कलात्मक प्रतिमान के साथ आंतरिक मंदिर के चित्रित दीवारों सहित राजस्थान शैली में सज्जित और विशाल प्रवेश द्वार और बाहरी परिक्रमा पथ है। मंदिर का आवासीय परिसर 90,000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है।

दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली और राजस्थानी शैली में निर्मित मंदिर परिसर धार्मिक और मिथक कहानियों की चित्रकारी के साथ अलंकृत



डिजाइन से भरा-पड़ा है।

दीवारों पर शेखावती क्षेत्र का महत्वपूर्ण भित्ति चित्र परम्परा अंकित है। भित्ति चित्र का क्षरण हो रहा है और इसके परिरक्षण और संरक्षण हेतु तुरंत ऐहतियात बरतने की आवश्यकता है।

स्थिति के मूल्यांकन के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट अपेक्षित है।

एन सी एफ की लघु अनुदान योजना के तहत पुष्कर राजस्थान स्थित पुराना रंगजी मंदिर के संरक्षण के लिए डी पी आर की तैयारी हेतु एन सी एफ और मै. द्रोहर (परामर्शदाता) के बीच संगम ज्ञापन पर 14/10/14 को हस्ताक्षर किया गया है।

(ख) नालंदा स्थल संग्रहालय, बिहार के लिए डी पी आर की तैयारी

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 16/04/2015

वित्तपोषक/भागीदार : एएसआई-एनसीएफ-एस्ट्रो लिंक्स


परियोजना विवरण : नालंदा स्थल संग्रहालय, बिहार के लिए डी पी आर की तैयारी

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मै. एस्ट्रो लिंक्स (परामर्शदाता) द्वारा तैयार किया जा रहा है। डी पी आर का उद्देश्य स्थल का अध्ययन है और यह उपाय सुझाना है कि कैसे संरक्षण हस्तक्षेप शुरू करके स्थल के महत्व को बढ़ाना है, जो न केवल इसके महत्व की रक्षा करेगा वरन् इसके दर्शक को समग्र एवं प्रामाणिक अनुभव भी प्रदान करेगा।

नालंदा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रतिवर्ष औसत 2.5 लाख आगंतुको के साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके महत्व को अच्छी तरह विवेचित किया जाए।

वर्तमान स्थल संग्रहालय संभवतः खुदाई स्थल पर पुरातत्वविदों के कार्य के लिए 1915 में एक अतिथि गृह के रूप में बनाया गया था। इसे 1917 में नालंदा तथा राजगीर से उत्खनित पुरावस्तुओं को रखने के लिए संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद इसे 1956 में नवीकृत किया गया। केवल 390 वर्ग मी. के कवरेज क्षेत्र के साथ यह संग्रहालय भवन निश्चित रूप से 13,463 कला तथ्यों के लिए पर्याप्त नहीं है।

भवन के भौतिक ढांचे को संरक्षित करने और संग्रहालय के मूल तंतु की रक्षा हेतु केवल न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता है। खंड प्रमुख रूप से दर्शक विवेचन और सुविधा को पूरा करेगा। इसमें टिकट काउंटर, विवेचन केन्द्र, अमानती सामान घर, संग्रहालय दूकान, बाल शिक्षा क्षेत्र आदि होगा।



नालंदा संग्रहालय को एक 'स्थल संग्रहालय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह किसी अन्य संग्रहालय से बहुत अलग है। इस पहलू को डिजाइन हस्तक्षेपों के जरिए वद्वित और अच्छी तरह से विवेचित किया जाना चाहिए। स्थल संग्रहालय में अवशेषों/अन्वेषणों को बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि दर्शकों द्वारा स्थल के साथ उनके संबंध को आसानी से समझा जा सके।

यह परियोजना भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत के रक्षण का राष्ट्रीय संस्कृति निधि के दर्शन का एक भाग है। यह पहल शामिल की गई विधाओं के वृहत रेंज जैसे कि पुरावशेष परिरक्षण, संरक्षण प्रदर्शनी, पुरातत्व, कला इतिहास, ऐतिहासिक भवन संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, प्रलेखन, ढॉचागत एवं सिविल इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन, अन्वेषण के साथ भूचित्र डिजाइनिंग के साथ एक अनुभवी बहु-विषयक दल द्वारा विचारों के आदान-प्रदान एवं उनके कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान करेगा।



## 7) लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत 31 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। लेखा परीक्षा 2020-21 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय संस्कृति निधि प्रबंधन की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करनी है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानदंड और प्रगटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी शामिल है। विधि, नियम एवं विनियम (मालिकाना एवं विनियामक) के अनुपालन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/कैंग के लेखा परीक्षा रिपोर्टों के जरिए सूचित की जाती हैं।

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक मिथ्या विवरणों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं। लेखा परीक्षा में राशियों का समर्थनकारी साक्ष्य और वित्तीय विवरण के प्रगटन का जांच आधार पर परीक्षण शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और किए गए पर्याप्त आकलनों का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

- हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।
- इस रिपोर्ट द्वारा डील किया गया तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखाओं के सामान्य फॉर्मेट में तैयार किया गया है।
- हमारी राय में राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहियां और अन्य संगत रिकार्ड रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।
- हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क. 1 देयताएं

क.1.1 चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7) रु. 33.99 लाख

क.1.1.1 उपर्युक्त में नीचे यथा वर्णित दीर्घ लंबित देयताएं शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	रु. लाख में	इस अवधि से लंबित
1	वस्तु एवं सेवाओं के लिए विविध लेनदार	7.12	मार्च 2012
2	प्राप्त अग्रिमें	4.62	जून 2009
3	राष्ट्रीय संग्रहालय को देय	7.42	अप्रैल 2005 से पूर्व



दीर्घ लंबित अग्रिमों असमायोजित पड़ी हैं और इसे पुनरीक्षित किए जाने और निपटाने की आवश्यकता है। संदेहास्पद राशि, यदि कोई है, का उल्लेख किया जाए और उससे कमी के रूप में प्रावधान दिखाया जाए।

## क. 2 परिसंपत्तियां

क.2.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिमों आदि (अनुसूची-11) रु. 72.10 करोड़

क.2.1.1 उपर्युक्त में 2013 से लंबित 3.91 लाख के विविध विविध लेनदार शामिल हैं। लेखाओं में न तो अति देय ऋणियों की पुनरीक्षा की गई और न ही उसके लिए कोई प्रावधान किया गया।

## ख. आय

ख.1 23 जुलाई 2013 को आयोजित एनसीएफ की कार्यपालक समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, ईसी ने एनसीएफ को शुरू की जाने वाली सभी नई परियोजना की परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन/प्रशासनिक प्रभार शुरू करने की सलाह दी। 2019-20 के दौरान एनसीएफ ने उद्दिष्ट निधि (अनुसूची-3) के अंतर्गत केवल एक परियोजना अर्थात् सोनी इंडिया लि. के लिए दान/अनुदान के रूप में रु. 55.00 लाख प्राप्त किया। तथापि, एनसीएफ की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी (रु. 2.75 लाख) की प्रविष्टि लेखों में नहीं पाई गई। इसका परिणाम इसी राशि की आय की कम अभिव्यक्ति और उद्दिष्ट निधि की अधिक अभिव्यक्ति हुई।

## ग. सामान्य

ग.1 तुलन पत्र की अनुसूची 3 के अनुसार एनसीएफ के अंतर्गत 42 परियोजनाएं थीं, जिसके लिए अलग बैंक खाते रखे गए थे। लेखा परीक्षा ने नोट किया कि इन परियोजनाओं में से 23 में कोई खर्च नहीं हुआ है, जिसमें अप्रैल 2017 तक रु. 4.99 करोड़ शेष थे (संलग्नक संलग्न है)। कुछ परियोजना खातों में कोई नियत जमा भी नहीं किया गया (रु. 49.78 लाख की 4 परियोजनाएं), जिसके परिणामस्वरूप ब्याज में हानि हुई।

ग.2 चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन के लिए वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान प्राप्त रु. 1.01 करोड़ की अव्ययित राशि मंत्रालय को मई, 2014 में लौटाई गई। तथापि, एन सी एफ ने 2019-20 तक अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज की राशि को वापस नहीं किया। एन सी एफ ने केवल वर्ष 2009-10 तक अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज के रूप में रु. 0.44 लाख का ब्योरा दिया। तथापि वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक ब्याज की राशि की गणना नहीं की गई और 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक लेखों में इसे अलग से नहीं दर्शाया गया। एन सी एफ को 2019-20 तक या आज की तिथि तक ब्याज की राशि की गणना करनी चाहिए और उसे लेखा परीक्षा को सूचित करते हुए संबंधित प्राधिकारी को लौटाना चाहिए।

## घ. सहायता अनुदान

एन सी एफ को रु. 19.50 करोड़ की एकमुश्त कॉरपस निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में एन सी एफ के पास रु. 49.20 करोड़ की कॉरपस निधि थी। इसने वर्ष के दौरान निधि के निवेश पर रु. 3.27 करोड़ ब्याज अर्जित किया। इसे वर्ष के दौरान रु. 1.85 करोड़ की विविध प्राप्ति हुई। उपलब्ध रु. 5.12 करोड़ निधियों में से इसने रु. 0.58 करोड़ का उपयोग किया और रु. 4.54 करोड़ के अव्ययित शेष को कारपस निधि में अंतरित कर दिया। वर्ष के अंत में एन सी एफ के पास रु. 53.74 करोड़ की कारपस निधि थी।

ड. प्रबंधन पत्र

जिन त्रुटियों को लेखा परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है, उसे उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के जरिए एन सी एफ के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैरा में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किया गया तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर नोटों के साथ पठित और ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और ठीक तस्वीर पेश करता है :

(क) जहां तक कि इसका संबंध 31 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि की कार्य स्थिति के तुलन पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अतिरेक के आय एवं व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
के लिए और उनकी ओर से

ह0/—

28.12.2021

(प्रवीर पांडे)

महालेखा परीक्षक

(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

स्थान : नई दिल्ली

तिथि :

## अनुबंध

### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- इसकी स्थापना से एन सी एफ की आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- एनसीएफ के अंतर्गत 42 परियोजनाएं थीं, जिसके लिए अलग बैंक खाते रखे गए थे। लेखा परीक्षा ने नोट किया कि इन परियोजनाओं में से 23 में कोई खर्च नहीं हुआ है, जिसमें अप्रैल 2017 तक रु. 4.99 करोड़ शेष थे (संलग्नक संलग्न है)।
- बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2002-03 से 2016-17 की अवधि में 38 निरीक्षण रिपोर्ट पैसे बकाए थे।
- एनसीएफ ने रु. 60.64 करोड़ की नियत जमाओं के लिए निवेश रजिस्टर नहीं बनाया।
- एन सी एफ ने अपनी स्थापना से उप-नियम नहीं बनाए थे।

### 3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- मार्च 2020 तक स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। एन सी एफ ने फॉर्म जीएफआर 40 में स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं बनाया है।

### 4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- मार्च, 2020 तक लेखन सामग्री और उपभोग्य मदों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है। तथापि, एन सी एफ ने लेखा परीक्षा को कोई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

### 5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

- 31.03.2020 को सांविधिक बकायों के संबंध में छह माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

संलग्नक

क्र.सं.	लेखे के अनुसार क्र. सं.	परियोजना का नाम	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	31.03.2020 को अंतिम शेष	अभ्युक्ति
1	1	बाल अकादमी, दुर्गापुर	128055	142461	
2	2	हुमाँयू का मकबरा, दिल्ली	20380	22513	
3	3	जंतर मंतर, दिल्ली	784249	870136	
4	5	क्रिष्किंधा न्यास	56823	63094	
5	6	रमण महर्षि भाग ।	1187	1144	
6	11	लोदी मकबरा	3362294	3724547	
7	12	लौरिया नंदनगढ बोकारो इस्पात संयंत्र	3098037	3446810	
8	13	आलमबाजार मठ, कोलकाता	8375343	9983105	
9	15	गोल गुंबज बीजापुर, एसटीसी	13310	14659	
10	16	वजीरपुर का गुंबज-पीईसी	150411	166784	
11	18	हंपी प्रतिष्ठान	289284	321779	
12	20	किशोर अमोलकर पर वृत्तचित्र	14213	14213	
13	21	हजारद्वारी मुर्शिदाबाद	1031047	1256706	
14	23	एनसीएफ एनटीपीसी	1740836	20954383	
15	26	रीच प्रतिष्ठान	25871	491802	
16	27	एमएसआरवीएम पुराना पुष्कर	51173	49226	नियत जमा नहीं
17	30	भारत फोटो अभिलेख प्रतिष्ठान	80023	84447	
18	31	एनटीपीसी नर्गिस सेवा मंडल	435536	435536	नियत जमा नहीं
19	32	वीओएफ आरईसी	322157	320210	नियत जमा नहीं
20	34	एनसीएफ एनटीपीसी जंतर मंतर	41223	78747	
21	36	एनसीएफ नवेली लिगेनाइट	1845923	2053143	
22	38	एनसीएफ ओस्मानिया विश्वविद्यालय	1105496	1229362	
23	42	वोंग	4174841*	4173187	नियत जमा नहीं
				49897994	

## प्रबंधन पत्र का अनुबंध

1. तुलन पत्र की अनुसूची-11 के अनुबंध । के अनुसार, रु. 60.64 करोड़ की राशि का एफडीआर (रु. 13.64 करोड़ परियोजना खातों से और रु. 47.00 करोड़ एनसीएफ प्रधान कार्यालय से) किया गया, जिसके लिए एनसीएफ द्वारा नियत जमा रजिस्टर नहीं बनाया गया। नियत जमाओं को उनकी परिपक्वता अवधि के अनुसार निवेश या चालू परिसंपत्तियां माना जाए। अतः एक नियत परिसंपत्ति रजिस्टर नियत जमाओं, चाहे अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, में इसके निवेश पर नजर रखने में सहायता कर सकता है।
2. तुलन पत्र की अनुसूची 3 के अनुसार एनसीएफ के अंतर्गत 42 परियोजनाएं थीं, जिसके लिए अलग बैंक खाते रखे गए थे। लेखा परीक्षा ने नोट किया कि 42 परियोजनाओं में से केवल 24 परियोजनाएं चालू थीं और बाँकी 31.03.2020 तक पूरी हो चुकी थीं। पूर्ण परियोजनाओं के खाते को पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है और खातों में पड़ी रु. 22.24 लाख की राशि को संबंधित परियोजना/प्रायोजक को वापस किया जाए।
3. एनसीएफ ने एक नियत परिसंपत्ति रजिस्टर बनाया है, लेकिन यह जीएफआर 40 फॉर्मेट में नहीं है।
4. वर्ष 2016-17 के लिए दिसंबर 2018 में एक मूल्यांकन आदेश के रूप में आयकर प्राधिकारियों द्वारा रु. 2.70 करोड़ की माँग की गई, जिसके विरुद्ध एनसीएफ ने जनवरी 2019 में अपील की। इस तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में उजागर नहीं किया गया।

# विपुल कुमार एवं कंपनी

सनदी लेखाकार  
एक्स वी-5352/ए (प्रथम तल)  
शोराकोटी, पहाड़गंज,  
नई दिल्ली-110055  
टेलीफोन : 23562736, 23586782  
टेली./फैक्स : 23586782

## लेखा परीक्षक का रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि के संलग्न तुलनपत्र और उसी तिथि के अनुसार प्राप्त एवं भुगतान लेखा और आय एवं व्यय लेखा की लेखा परीक्षा की है और रिपोर्ट करते हैं कि :

- क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।
- ख) हमारी राय में सोसायटी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।
- ग) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है।
- घ) हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर नोटों के साथ पठित और ऊपर कथित लेखाएं सत्य और ठीक तस्वीर पेश करता है :
- i) 31 मार्च, 2020 को एसोसिएशन के कार्यस्थिति के तुलनपत्र के मामले में है,
- ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निधियों के व्यय के ऊपर अतिरेक के आय एवं व्यय के मामले में है,
- iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी के संचलन के प्राप्त एवं भुगतान लेखा के मामले में है।

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी  
सनदी लेखाकार

(भागीदार)

स्थान : नई दिल्ली  
तिथि : 14.07.2021



# राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षित लेखे

2019-20

नाम : राष्ट्रीय संस्कृति निधि

दर्जा : न्यास/निवासी

मूल्यांकन वर्ष : 2020-21

पूर्व वर्ष : 31-03-2020

पैन : एएएटीएन4595एम

सर्कल : सर्कल-11

निगमन की तिथि : 28.11.1996

बैंक/शाखा : केनरा बैंक/नई दिल्ली

बैंक खाता : 3525101000627

मूल्यांकन योग्य आय का विवरण

राशि (रु. में)

वर्ष के दौरान सकल प्राप्ति		
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार सकल प्राप्ति		51,216,022
घटा: सकल प्राप्ति के 15 प्रतिशत की सीमा तक धारा 10(23ग)(iv) के तहत छूट		7,682,4034
<b>कुल</b>		<b>43,533,619</b>
घटा: वर्ष के दौरान निधियों का अनुप्रयोग आय एवं व्यय लेखा के अनुसार कुल व्यय	5,864,271	
घटा : भुगतान किया गया आयकर शास्ति		
घटा: आय एवं व्यय लेखा को प्रभारित ह्रास	289,684	
	5,574,587	
जोड़ : वर्ष के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय	150,990	5,725,577
<b>वर्ष का निबल शेष</b>		<b>37,808,042</b>
कर योग्य आय		<b>37,808,042</b>
<b>कुल आय</b>		<b>37,808,042</b>
कुल आय पर कर		—
जोड़ : 4 प्रतिशत की दर से ईसी एवं एसएचईसी		—
कुल देय कर		—
घटा : टीडीएस		—
शेष देय		—



राष्ट्रीय संस्कृति निधि  
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

		(राशि रूपयों में)	
कार्पस/पूँजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
कार्पस/पूँजीगत निधि	1	537,399,532	492,047,781
रिजर्व एवं अतिरेक	2	-	-
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	182,188,106	564,056,459
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	3,399,891	3,819,276
<b>कुल</b>		<b>722,987,529</b>	<b>1,059,923,516</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	1,964,211	2,102,905
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से निवेश	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	721,023,318	1,057,820,611
विविध खर्च (बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं की गई सीमा तक)		-	-
<b>कुल</b>		<b>722,987,529</b>	<b>1,059,923,516</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		
<b>लेखापरीक्षक की रिपोर्ट</b>			
समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टनुसार			
कृते विपुल कुमार एवं कंपनी			
सनदी लेखाकार		राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लिए और की ओर से	
विपुल कुमार (भागीदार)		(सदस्य सचिव)	
स्थान : नई दिल्ली			
दिनांक : 24.12.2020			

राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र			
			(राशि रुपयों में)
कार्य/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
कार्य/पूंजीगत निधि	1	537,399,532	492,047,781
रिजर्व एवं अतिरेक	2	-	-
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	182,188,106	564,056,459
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	3,399,891	3,819,276
<b>कुल</b>		<b>722,987,529</b>	<b>1,059,923,516</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	1,964,211	2,102,905
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से निवेश	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	721,023,318	1,057,820,611
विविध खर्च (बंदटे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं की गई सीमा तक)		-	-
<b>कुल</b>		<b>722,987,529</b>	<b>1,059,923,516</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		
<b>लेखापरीक्षक की रिपोर्ट</b>			
समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टनुसार			
कृते विपुल कुमार एवं कंपनी सनदी लेखाकार		राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लिए और की ओर से	
विपुल कुमार (भागीदार)			
स्थान : नई दिल्ली		(सदस्य सचिव)	
दिनांक : 24.12.2020			



राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा			
		(राशि रुपयों में)	
आय	अनुसूची	31.03.2020	31.03.2019
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान एवं सहायिकी	13		2,000
शुल्क/अंशदान	14		-
निवेश से आय (निधियों में नहीं अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)	15		-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		-
अर्जित व्याज	17	32,707,944	32,814,560
अन्य आय	18	18,508,078	4,205,600
तैयार मामलों के भंडार में वृद्धि/(कमी) और प्रगति में कार्य	19		-
<b>कुल (क)</b>		<b>51,216,022</b>	<b>37,022,160</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	2,299,454	3,663,176
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	3,272,629	4,055,033
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	4,651,121
व्याज	23	2,504	480,555
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)		289,684	351,488
<b>कुल (ख)</b>		<b>5,864,271</b>	<b>13,201,373</b>
<b>व्यय की तुलना में अधिक आय के कारण शेष (क - ख)</b>		<b>45,351,751</b>	<b>23,820,787</b>
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)			
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण			
<b>अधिक/कम शेष जो कार्पस/पूँजीगत निधि में ले जाया गया</b>		<b>45,351,751</b>	<b>23,820,787</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	-	-
<b>लेखापरीक्षक की रिपोर्ट</b>			
समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टनुसार			
<b>कृते विपुल कुमार एवं कंपनी</b>		<b>राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लिए</b>	
<b>सनदी लेखाकार</b>		<b>और की ओर से</b>	
<b>विपुल कुमार</b>			
(भागीदार)			
स्थान : नई दिल्ली		<b>(सदस्य सचिव)</b>	
दिनांक : 24.12.2020			

राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां			
			(राशि रुपयों में)
अनुसूची 1 – कार्पस/पूजीगत निधि	31.03.2020	31.03.2019	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	492,047,781	468,226,994	
जोड़ें – कार्पस/पूजीगत निधि में अंशदान	-	-	
जोड़ें/(घटाएं) – आय और व्यय लेखा से अंतरित	45,351,751	23,820,787	
निवल आय/(व्यय) का शेष			
घटाएं : अलग संयुक्त बैंक खाते में अंतरित राशि	45,351,751	23,820,787	
वर्ष के अंत में शेष	537,399,532	492,047,781	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	
अनुसूची – 2 – रिजर्व एवं अतिरेक			
1. पूजीगत रिजर्व			
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :			
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-
3. विशेष रिजर्व :			
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व :			
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-
कुल	-	-	-

31.03.2020 को स्थिति के अनुसार कुल-पत्र में समाविष्ट अनुपूर्विकाएं		(परिशिष्ट पूर्णों में)		अनुपूर्विका-2 का अनुबंध		निधि-पत्र खाता											
अनुपूर्विका-8 परिवर्द्ध/वृद्धिदान निधि																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
चार पूर्व																	
क. निधि का आवधिक योग	137,687	21,763	842,757	12,013	60,978	1,144	2,155,313	619,174	619,174	50,140,601	9,538	3,611,087	3,331,230	9,125,827	848,177	14,172	161,422
ख. निधि में परिवर्द्धन																	
i. पत्र/अनुदान	4,774	750	27,379	-	2,116	-	70,108	21,004	21,004	3,250,786	383	113,460	115,580	857,278	29,946	487	5,362
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय																	
iii. अन्य परिवर्द्धन - बैंक ब्याज																	
दिव्यांग की निजी निधि (एनएलए/एनएलए) प्राप्त पत्र लिखा	4,774	750	27,379	-	2,116	-	70,108	21,004	21,004	3,250,786	383	113,460	115,580	857,278	29,946	487	5,362
कुल (योग)	142,461	22,513	870,136	12,013	63,094	1,144	2,225,421	640,178	640,178	53,391,387	9,921	3,724,547	3,446,810	9,983,105	878,123	14,659	166,784
दूसरे के बंध में गिराव योग (कम-ग)																	
ग. निधि के उत्तरदायियों से उपसर्ग/खप																	
- अन्य आवधिक ब्याज										590							
- परिवर्द्धन योग										590							
कुल										590							
कुल (योग)	142,461	22,513	870,136	12,013	63,094	1,144	2,225,421	640,178	640,178	53,390,797	9,921	3,724,547	3,446,810	9,983,105	878,123	14,659	166,784
निधियों का योग	142,461	22,513	870,136	12,013	63,094	1,144	2,225,421	640,178	640,178	53,390,797	9,921	3,724,547	3,446,810	9,983,105	878,123	14,659	166,784
पाठ पूर्व																	
घ) निधि का आवधिक योग	132,975	21,018	813,315	16,320	59,392	1,115	2,019,104	1,164,560	1,164,560	46,436,772	9,270	3,487,415	3,217,143	8,702,203	819,147	13,686	155,995
च) निधि में परिवर्द्धन																	
i. पत्र/अनुदान	4,712	745	29,442	-	1,586	-	217,008	22,064	22,064	4,807,082	327	123,672	114,087	423,624	29,030	486	5,527
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय																	
iii. अन्य परिवर्द्धन - बैंक ब्याज																	
दिव्यांग की निजी निधि (एनएलए/एनएलए) प्राप्त पत्र लिखा	4,712	745	29,442	-	1,586	-	217,008	22,064	22,064	4,807,082	327	123,672	114,087	423,624	29,030	486	5,527
कुल (योग)	137,687	21,763	842,757	16,320	60,978	1,144	2,236,112	1,186,624	1,186,624	51,243,854	9,597	3,611,087	3,331,230	9,125,827	848,177	14,172	161,422
दूसरे के बंध में गिराव योग (कम-ग)																	
ग. निधि के उत्तरदायियों से उपसर्ग/खप																	
- अन्य आवधिक ब्याज																	
- परिवर्द्धन योग																	
कुल																	
कुल (योग)	137,687	21,763	842,757	16,320	60,978	1,144	2,236,112	1,186,624	1,186,624	51,243,854	9,597	3,611,087	3,331,230	9,125,827	848,177	14,172	161,422
निधियों का योग	137,687	21,763	842,757	16,320	60,978	1,144	2,236,112	1,186,624	1,186,624	51,243,854	9,597	3,611,087	3,331,230	9,125,827	848,177	14,172	161,422

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलना-पत्र में समाविष्ट अनुसूचिका		अनुसूची-2 का अनुबंध											
अनुसूची-3 परिदृष्ट/वृत्तिदान निधि		(राशि रुपयों में)											
		निधि-वार व्यय											
वार्षिक वर्ष	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
क. निधि का प्राथमिक शेष	118,031	310,759	388,000,249	14,213	1,187,104	1,507,262	1,977,449	1,667,920	5,900	492,451	49,875	419,453	20,257,690
ख. निधि में परिवर्धन													
i. दान/अनुदान	-	-	7,948,641	-	70,251	93,688	118,583	210,005	-	-	-	43,839	1,247,142
ii. निधि में निधि-वार निधियों से अग्र	-	11,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिवानों की विका (प्रकाश एवं वकील प्रदर्शन) प्राप्त भव किराया	-	11,020	7,948,641	-	70,251	93,688	118,583	210,005	-	-	-	43,839	1,247,142
कुल (ख)	-	11,020	7,948,641	-	70,251	93,688	118,583	210,005	-	-	-	43,839	1,247,142
कुल (का+ख)	118,031	321,779	395,948,890	14,213	1,257,355	1,600,950	2,096,032	1,877,925	5,900	492,451	49,875	463,292	21,504,832
ग. निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/खय													
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	394,439,433	-	649	649	649	649	5,369	649	649	649	649
- परियोजना व्यय	-	-	394,439,433	-	649	649	649	649	5,369	649	649	649	649
कुल	-	-	394,439,433	-	649	649	649	649	5,369	649	649	649	649
कुल (ग)	118,031	321,779	1,809,457	14,213	1,256,706	1,600,301	2,095,383	1,877,276	531	491,802	49,226	462,643	21,504,183
वर्ष के अंत में निवल शेष (का-ख-ग)	118,031	321,779	1,509,457	14,213	1,256,706	1,600,301	2,095,383	1,877,276	531	491,802	49,226	462,643	21,504,183
निधियों का योग	118,031	321,779	1,509,457	14,213	1,256,706	1,600,301	2,095,383	1,877,276	531	491,802	49,226	462,643	21,504,183
वार्षिक वर्ष	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
घ) निधि का प्राथमिक शेष	118,031	300,088	14,150,742	14,213	1,094,352	1,448,226	1,867,063	1,602,836	8,909	197,573	50,524	393,050	17,156,490
ख) निधि में परिवर्धन													
i. दान/अनुदान	-	-	370,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधि में निधि-वार निधियों से अग्र	-	10,671	17,341,294	-	93,401	98,293	113,869	72,913	-	295,527	-	29,224	3,102,849
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिवानों की विका (प्रकाश एवं वकील प्रदर्शन) प्राप्त भव किराया	-	10,671	387,441,294	-	93,401	98,293	113,869	72,913	-	295,527	-	29,224	3,102,849
कुल (ख)	-	10,671	387,441,294	-	93,401	98,293	113,869	72,913	-	295,527	-	29,224	3,102,849
कुल (का+ख)	118,031	310,759	401,592,036	14,213	1,187,753	1,546,519	1,980,932	1,675,749	8,909	493,100	50,524	422,274	20,259,339
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/खय													
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	13,591,787	-	649	649	649	649	3,009	649	649	2,821	649
- परियोजना व्यय	-	-	13,591,787	-	649	38,608	2,834	7,180	-	-	-	-	1,000
कुल	-	-	13,591,787	-	649	39,257	3,483	7,829	3,009	649	649	2,821	1,649
कुल (ग)	118,031	310,759	388,000,249	14,213	1,187,104	1,507,262	1,977,449	1,667,920	5,900	492,451	49,875	419,453	20,259,339
वर्ष के अंत में निवल शेष (का-ख-ग)	118,031	310,759	388,000,249	14,213	1,187,104	1,507,262	1,977,449	1,667,920	5,900	492,451	49,875	419,453	20,259,339
निधियों का योग	118,031	310,759	388,000,249	14,213	1,187,104	1,507,262	1,977,449	1,667,920	5,900	492,451	49,875	419,453	20,259,339

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार धुमन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियाँ	(रशि क. नं.) अनुसूची-3 का अनुबंध										(रशि क. नं.) अनुसूची-2 का अनुबंध										(रशि क. नं.)
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	40	40	40	40	40				
<b>अनुसूची-3 उद्विष्ट/सुविधान निधि</b>																					
<b>आरू वर्ष</b>	81,860	435,536	320,859	421,292	68,982	1,984,867	3,100,911	1,188,708	6,044,832	58,181,458	754,602	4,173,187	76,955,220.00								
<b>ख. निधि का प्राविष्ट शेष</b>																					
i. धन/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-	-	-			
ii. निधि में निर.प. निधियों से आय	3,236	-	-	46,562	10,355	68,866	381,230	41,244	699,154	3,226,317	4,731	5,900,000	-	-	-	-	-				
iii. अन्य परिवर्तन - रिके व्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
दिवानों की रिके (विमान एवं वणि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
प्रारंभ मात्र विनया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>कुल (ख)</b>	3,236	-	-	46,562	10,355	68,866	381,230	41,244	699,154	3,226,317	4,731	5,900,000	-	-	-	-	-				
<b>कुल (रकम)</b>	85,096	435,536	320,859	467,854	79,337	2,053,733	3,482,141	1,229,952	12,243,986	61,407,775	759,333	86,960,160.00									
<b>ग) निधि के उद्विष्टों के उपाय/अय</b>																					
- अन्य प्राथमिक अय	649	-	649	1,239	590	590	1,807	590	-	-	-	6,763.00									
- परिवर्तन अय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,322,763.00									
<b>कुल</b>	649	-	649	1,239	590	590	1,807	590	6,038,965	5,313,798	-	11,322,763.00									
<b>कुल (ग)</b>	649	-	649	1,239	590	590	1,807	590	6,038,965	5,313,798	-	11,322,763.00									
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (रकम-ग)</b>	84,447	435,536	320,210	466,615	78,747	2,053,143	3,480,334	1,229,362	6,205,021	56,093,977	759,333	75,609,490.00									
<b>निधियों का योग</b>	84,447	435,536	320,210	466,615	78,747	2,053,143	3,480,334	1,229,362	6,205,021	56,093,977	759,333	75,609,490.00									
<b>आरू वर्ष</b>	80,820	435,536	321,508	384,169	54,748	1,916,891	3,392,852	1,147,998	11,600,229	64,079,254	812,981,79	114,896,904.00									
को निधि का प्राविष्ट शेष																					
i. धन/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ii. निधि में निर.प. निधियों से आय	1,689	-	-	39,772	14,234	67,976	191,259	40,710	4,355,920	14,669,072	746,833	388,883,913									
iii. अन्य परिवर्तन - रिके व्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,090,907.00									
दिवानों की रिके (विमान एवं वणि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
प्रारंभ मात्र विनया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>कुल (ख)</b>	1,689	-	-	39,772	14,234	67,976	191,259	40,710	4,355,920	14,669,072	746,833	388,883,913									
<b>कुल (रकम)</b>	82,509	435,536	321,508	423,941	68,982	1,984,867	3,584,111	1,188,708	15,956,149	82,304,135	32,045,012	142,771,724.00									
<b>ग) निधि के उद्विष्टों के उपाय/अय</b>																					
- अन्य प्राथमिक अय	649	-	649	2,649	649	649	483,200	649	9,911,317	24,122,677	31,290,410	620,000									
- परिवर्तन अय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>कुल</b>	649	-	649	2,649	649	649	483,200	649	9,911,317	24,122,677	31,290,410	620,000									
<b>कुल (ग)</b>	649	-	649	2,649	649	649	483,200	649	9,911,317	24,122,677	31,290,410	620,000									
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (रकम-ग)</b>	81,860	435,536	320,859	421,292	68,982	1,984,867	3,100,911	1,188,708	6,044,832	58,181,458	754,602	76,955,220									
<b>निधियों का योग</b>	81,860	435,536	320,859	421,292	68,982	1,984,867	3,100,911	1,188,708	6,044,832	58,181,458	754,602	76,955,220.00									

राष्ट्रीय संस्कृति निधि							
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां							
(राशि रुपयों में)							
अनुसूची 3 - उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि			निधि वार ब्यौरा				
			निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एकस एकस	निधि वाई वाई	31.03.2020	31.03.2019
<b>क) निधि का आरंभिक शेष</b>						564,056,459	220,368,331
<b>ख) निधि में परिवर्धन</b>							
i.	दान/अनुदान					5,500,000	388,883,913
ii.	निधियों में से किए गए निवेदों से आय					18,756,378	36,028,369
iii.	अन्य परिवर्धन (स्वरूप का उल्लेख करें)					-	-
<b>कुल (ख)</b>						24,256,378	424,912,282
<b>कुल (क+ख)</b>						<b>588,312,837</b>	<b>645,280,613</b>
<b>ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय</b>							
i.	<b>पूंजीगत व्यय</b>						
	- स्थायी परिसंपत्तियां						-
	- अन्य						-
	<b>योग</b>						-
ii.	<b>राजस्व व्यय</b>						
	- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						-
	- किराया						-
	- अन्य प्रशासनिक व्यय					17,914	20,960
	- परियोजना व्यय					406,106,817	81,203,194
	<b>योग</b>					406,124,731	81,224,154
<b>योग (ग)</b>						<b>406,124,731</b>	<b>81,224,154</b>
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)</b>						<b>182,188,106</b>	<b>564,056,459</b>
<b>टिप्पणी :</b>							
1. अनुदानों से संबद्ध शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के अधीन प्रकटन किया जाएगा।							
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना गत निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शायी जाएगी और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।							



राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां			
अनुसूची -4 - सुरक्षित ऋण एवं उधार	31.03.2020		(राशि रुपयों में) 31.03.2019
	1. केन्द्र सरकार		-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
3. वित्तीय संस्थाएं			
क) सावधि ऋण	-	-	-
ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-	-
4. बैंक			
क) सावधि ऋण	-	-	-
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-	-
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर एवं बंध पत्र		-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि			

राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां			
अनुसूची - 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधार	31.03.2020		(राशि रुपयों में) 31.03.2019
	1. केन्द्र सरकार		-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
4. बैंक			
क) सावधि ऋण		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर एवं बंध पत्र		-	-
7. नियत जमाएं		-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-
अनुसूची - 6 - आस्थगित ऋण देयताएं	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	
क) पूजा के गिरवी द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		-	-
ख) अन्य		-	-
<b>कुल</b>		-	-

राष्ट्रीय संस्कृति निधि				
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां				
		(राशि रुपयों में)		
		31.03.2020		31.03.2019
<b>अनुसूची-7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान</b>				
<b>क. चालू देयताएं</b>				
1. विविध ऋणदाता				
क) माल एवं सेवा के लिए		712,533		940,177
2. प्राप्त अग्रिम राशियां	462,051	462,051	462,051	462,051
3. सांविधिक देयताएं				
क) अन्य : संदेय टीडीएस	3,221	3,221	244,962	244,962
4. अन्य चालू देयताएं :				
अग्रिम धन				
: परियोजना को वापसी योग्य राशि	1,330,330		1,330,330	
: संदेय व्यय	150,000		100,000	
: राष्ट्रीय संग्रहालय को संदेय	742,475		742,475	
: संस्कृति मंत्रालय को संदेय	(719)	2,222,086	(719)	2,172,086
<b>कुल (क)</b>		<b>3,399,891</b>		<b>3,819,276</b>
<b>ख. प्रावधान</b>				
1. कराधान के लिए				-
<b>कुल (ख)</b>				<b>-</b>
<b>कुल (क + ख)</b>		<b>3,399,891</b>		<b>3,819,276</b>



राष्ट्रीय संस्कृति निधि											
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां											
											(राशि रुपये में)
अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां											
विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड		
	मूल्यहास दर	वर्ष के आरंभ में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के अंत में प्रारंभ	वर्ष के दौरान परिवर्धनों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
1 एयर कंडीशनर	15%	57,500	-	-	57,500	56,886	92	-	56,978	522	614
2 वाल्टेज स्टेबलाइजर	15%	4,800	-	-	4,800	4,749	8	-	4,757	43	51
3 रेफ्रिजरेटर	15%	44,123	-	-	44,123	12,522	4,740	-	17,262	26,861	31,601
4 फर्नीचर मदें	10%	3,140,572	-	-	31,40,572	1,364,125	177,648	-	1,541,773	1,598,799	1,776,447
5 फोटो कॉपियर	15%	689,612	-	-	689,612	582,087	16,129	-	598,216	91,396	107,525
6 फैक्स मशीन	15%	35,900	-	-	35,900	29,862	906	-	30,768	5,132	6,038
7 कम्प्यूटर हार्डवेयर	40%	1,174,434	71,990	-	1,246,424	1,017,470	77,184	-	1,094,654	151,770	156,964
8 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	47,730	-	-	47,730	33,720	5,604	-	39,324	8,406	14,010
9 कार्यालय उपकरण	15%	17,300	79,000	-	96,300	7,645	7,373	-	15,018	81,282	9,655
<b>चालू वर्ष का योग</b>		5,211,971	150,990	-	5,362,961	3,109,066	289,684	-	3,398,750	1,964,211	2,102,905
<b>गत वर्ष</b>		4,755,383	456,588	-	5,211,971	2,757,578	351,488	-	3,109,066	2,102,905	1,997,805
<small>(अनुसूची में शामिल माडा - खरीद आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के बारे में दी जाने वाली टिप्पणी)</small>											
<small>निम्नलिखित एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण के नए लेखांकन फॉर्मेट की अधिकांश का पालन करने के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के समूहीकरण में परिवर्तन किया गया है।</small>											

राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां			
			(राशि रु. में)
<b>अनुसूची 9</b>	<b>– उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
	1 सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
	2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
	3 शेयर	-	-
	4 डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-
	5 सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
	6 अन्य (विशिष्ट परियोजनाएं एफडीआर)		
	परियोजना ज्ञान प्रवाह – एफडीआर	-	-
	परियोजना चौ. चरण सिंह जन्म शताब्दी – एफडीआर	-	-
	परियोजना डी जी जैसलमेर – एफडीआर	-	-
	<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां			
			(राशि रु. में)
<b>अनुसूची 10</b>	<b>– निवेश – अन्य</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
	1 सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
	2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
	3 शेयर	-	-
	4 डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-
	5 सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
	6 अन्य (उल्लेख किया जाए)	-	-
	<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

राष्ट्रीय संस्कृति निधि				
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां				
			(राशि रुपयों में)	
अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम धन आदि	31.03.2020		31.03.2019	
<b>क. चालू परिसंपत्तियां</b>				
<b>1 विविध ऋणदाता</b>				
क. छह मास से अधिक अवधि से बकाया ऋण	391,369		391,369	
ख. अन्य	-	391,369	-	391,369
<b>2 हाथ रोकड़ शेष (चेक, ड्राफ्ट तथा अग्रदाय सहित) – अनुबंध-1 संलग्न</b>	10,342	10,342	67	67
<b>3 बैंक में शेष राशि :</b>				
क. अनुसूचित बैंकों में :				
– जमा खाते में (मार्जिन राशि भी शामिल है) अनुबंध-1 संलग्न	606,379,544		576,577,533	
– बचत खाते में अनुबंध-1 संलग्न	70,725,190	677,104,734	443,303,848	1,019,881,381
<b>कुल (क) – विवरण संलग्न अनुबंध के अनुसार</b>		<b>677,506,445</b>		<b>1,020,272,817</b>
<b>ख. ऋण, अग्रिमधन और अन्य परिसंपत्तियां</b>				
<b>1. ऋण</b>				
ग) अन्य			-	-
<b>2. अग्रिम धन और अन्य रकमें जो नकदी में या वस्तु रूप में या प्राप्त्य मूल्य पर वसूलनीय हैं।</b>				
ख) पूर्व भुगतान				
ग) अन्य – महानिदेशक (ए एस आई)	11,519,603	11,519,603	124,140	124,140
<b>3. प्रोद्भूत आय</b>				
क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश पर	-		-	
ख) अन्य – निवेशों पर	5,859,543		15,772,524	
ग) अन्य	5,970,855	11,830,398	4,669,804	20,442,328
<b>4. प्राप्य दावे/टी डी एस वसूली योग्य : एन सी एफ निवेशों पर</b>	13,340,171		11,049,141	
परियोजनाओं पर	6,826,701	20,166,872	5,932,185	16,981,326
<b>कुल (ख)</b>		<b>43,516,873</b>		<b>37,547,794</b>
<b>कुल (क + ख)</b>		<b>721,023,318</b>		<b>1,057,820,611</b>

		अनुसूची 11-क का अनुबंध-1			
		राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियाँ			
अंतिम शेष		(रुपये में)		(रुपये में)	
		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	
<b>1</b>	<b>रोकड़ शेष</b>				
	एन सी एफ - बरखा	67	67	67	67
	विशिष्ट परियोजनाएँ				
	<b>कुल 1</b>		<b>67</b>		<b>67</b>
<b>2</b>	<b>बैंक शेष</b>				
	<b>अनुसूचित बैंकों के बैंक शेष</b>				
	क) चालू खातों पर			-	
	ख) मार्जिन राशि सहित जमा लेखा में				
	<b>एन सी एफ मुख्यालय</b>				
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली			-	
	पीएनबी बैंक, नई दिल्ली	312,624,065			
	आई डी एफ सी बैंक, नई दिल्ली	-		141,216,949	
	केनरा बैंक	<b>157,358,372</b>		299,837,428	
	<b>विशिष्ट परियोजनाएँ</b>				
	सावधि जमा - परियोजनाएँ	<b>136,397,107</b>	606,379,544	135,523,156	576,577,533
	ग) बचत खाते में				
	<b>एन सी एफ मुख्यालय</b>				
	एन सी एफ, एल डी पी खाता सं. 1231	<b>61,859</b>		11,179,296	
	आई डी एफ सी बैंक खाता सं. 7884	<b>515,242</b>		480,700	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	<b>6,172,872</b>		5,985,025	
	आई डी पी आई बैंक - खाता सं. 0055	<b>4,132,491</b>		3,968,659	
	केनरा बैंक खाता सं. 627	<b>26,849,283</b>		3,664,467	
			37,731,747		25,278,147
	<b>विशिष्ट परियोजनाएँ</b>				
	बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	<b>142,351</b>		<b>137,577</b>	
	हुमायूँ का मकबरा परियोजना	<b>22,513</b>		<b>21,763</b>	
	जैसलमेर किला परियोजना - बैंक	187,138		1,623	
	जंतर मंतर परियोजना	868,096		841,425	
	ज्ञान प्रवाह परियोजना			6,841	
	किष्किन्धा न्यास परियोजना	63,094		60,978	
	रमण महर्षि परियोजना - भाग-1	1,144		1,144	
	देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना			9,498	
	राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	640,178		619,174	
	शनिवारवाड़ा परियोजना	1,932,694		2,155,313	
	आलमबाजार मठ परियोजना	9,983,105		9,125,827	
	गोल गुम्बज परियोजना	14,659		14,172	
	हिडिम्बा मंदिर परियोजना, मनाली	878,123		848,177	
	यजीरपुर का गुम्बज परियोजना	166,784		161,422	
	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान परियोजना	1,509,457		388,000,249	
	हन्मी प्रतिष्ठान परियोजना	321,779		310,759	
	लोन्बी मकबरा परियोजना	3,724,547		3,611,087	
	एन बी सी सी परियोजना - भारत एस्बीआई बैंक	105,669		1,063	
	हजारद्वारी मुर्शिदाबाद परियोजना	96,897		97,546	677,104,713
	भारतीय फोटो अभिलेख परियोजना	51,318		51,967	
	नौरस न्यास परियोजना	47,911		48,560	
	एन सी एफ परियोजना - एन टी पी सी	26,576		27,225	
	श्रीमती मुणालिनी सारभाई पर फिल्म परियोजना	96,895		97,544	
	ओ एन जी सी रीच प्रतिष्ठान परियोजना	18,020		18,699	
	एम एस आर वी एम (पुराना) पुष्कर परियोजना	49,135		49,784	
	ओ एन जी सी अहोम स्मारक परियोजना	16,863		17,512	
	एस सी एल महाबलीपुरम् परियोजना	69,754		70,403	
	ओ एन जी सी राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	531		5,900	
	लौरिया नंदनगढ़ बोकारो परियोजना	3,446,810		3,331,230	



राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां			
			(राशि रुपये में)
		31.03.2020	31.03.2019
<b>अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय</b>			
1	<b>बिक्री से आय</b>		
	क. तैयार माल की बिक्री	-	-
	ख. कच्चा माल की बिक्री	-	-
	ग. स्कैप की बिक्री	-	-
2	<b>सेवाओं से आय</b>		
	क. श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार	-	-
	ख. व्यावसायिक एवं परामर्शी सेवाएं	-	-
	ग. एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
	घ. अनुसंधान सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
	ड. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
	<b>कुल</b>	-	
<b>अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी</b>		<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
(प्राप्त अटल अनुदान/सहायिकी)			
1.	केन्द्र सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार	-	-
3.	सरकारी एजेंसियां	-	-
4.	संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6.	अन्य : अनुदान		2,000
	<b>कुल</b>	-	<b>2,000</b>

राष्ट्रीय संस्कृति निधि		
31.03.2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां		
	(राशि रुपये में)	
अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	31.03.2020	31.03.2019
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य	-	-
कुल	-	-
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	31.03.2020	31.03.2019
1. सावधि जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	31,656,644	3,17,93,970
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
ग) अन्य		
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	1,051,300	10,20,590
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
ग) डाकघर बचत खातों पर		
घ) अन्य		
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) अन्य		
4. ऋणियों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज		
कुल	32,707,944	32,814,560



राष्ट्रीय संस्कृति निधि		
31.03.2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां		
		(राशि रुपये में)
<b>अनुसूची 18 – अन्य आय</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) मालिकाना संपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2. उगाही की गई निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. प्रशासनिक संवाओं के लिए शुल्क	18,505,000	42,00,000
4. विविध आय	3,078	5600
<b>कुल</b>	<b>18,508,078</b>	<b>4,205,600</b>
<b>अनुसूची 19 – तैयार मालों के भंडार और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
क) अंतिम भंडार		
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य	-	-
ख) घटा : अंतिम भंडार	-	-
– तैयार माल	-	-
– चल रहा कार्य	-	-
निबल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	-	-
<b>अनुसूची 20 – स्थापना व्यय</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>
क) वेतन एवं मजदूरी	2,299,456	3608176
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (उल्लेख करें)	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर खर्च	-	-
छ) अन्य : मानदेय	-	55000
<b>कुल</b>	<b>2,299,456</b>	<b>3,663,176</b>



राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां			
		(राशि रुपए में)	
		31.03.2020	31.03.2019
<b>अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय</b>			
क.	मरम्मत तथा अनुरक्षण, कम्प्यूटर अनुरक्षण	707,775	141,719
ख.	डाक खर्च, टेलीफोन, संचार	95,543	94,004
ग.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	29,586	229,947
घ.	यात्रा एवं परिवहन खर्चे	748,729	870,554
ङ	व्यावसायिक प्रभार	248,790	391,485
च.	कार्यालय खर्चे	121,834	293,999
छ.	सुरक्षा गार्ड खर्चे	-	89,476
ज.	विज्ञापन खर्चे	131,768	44,759
झ.	संविदात्मक स्टाफ	1,138,604	1,532,167
ञ.	लेखा परीक्षा शुल्क	50,000	325,455
ट.	बैठक खर्चे	-	41,468
<b>कुल</b>		<b>3,272,629</b>	<b>4,013,565</b>

राष्ट्रीय संस्कृति निधि			
31.03.2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां			
		(राशि रुपए में)	
		31.03.2020	31.03.2019
<b>अनुसूची 22 – अनुदान, सहायिकियों आदि व्यय</b>			
		-	
क.	अखिल भारतीय इतिहास संस्थाप को दिया गया परियोजना अनुदान नालंदा, एएसआई स्थल के लिए एस्ट्रो लिंक को दिया गया अनुदान	-	4,000,000
			651,121
ख.	संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां	-	-
<b>कुल</b>		<b>-</b>	<b>4,651,121</b>
		31.03.2020	31.03.2019
<b>अनुसूची 23 – ब्याज</b>			
क.	बैंक प्रभार	1,504	349
ख.	टी डी एस/आय कर पर शास्तियां	1,000	480,206
<b>कुल</b>		<b>2,504</b>	<b>480,555</b>

राष्ट्रीय संस्कृति निधि				
31.03.2020 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा				
प्राप्तियां	31.03.2020	31.03.2019	भुगतान	
			31.03.2020	31.03.2019
<b>I. प्रारंभिक शेष</b>			<b>I. व्यय</b>	
क) हाथ रोकड़	67	5,025	क) स्थापना व्यय	2,299,454
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	3,692,014
i) जमा खातों में	576,577,533	596,135,274		
ii) बचत खातों में	443,303,848	65,360,520	<b>II. निधियों में से किए भुगतान</b>	
			अनुदान संबंधी व्यय	-
<b>IV. प्राप्त ब्याज</b>			उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	406,124,731
क. बैंक जमा राशियों पर	38,134,328	23,612,248		
<b>V. अन्य आय (विशिष्ट उल्लेख करें)</b>			<b>IV. स्थायी परिसंपत्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय</b>	
दान/अनुदान	-	2,000	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	150,990
			<b>V. अधिशेष (सरप्लस) धन/ऋणों की वापसी</b>	
<b>VI. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)</b>			क) भारत सरकार को	-
क. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि				
निधियों में परिकल्पना	24,256,378	424,912,282	<b>VI. वित्त प्रभार (ब्याज)</b>	1,504
ख. विविध आय	18,508,078	4,205,600		
			<b>VIII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)</b>	11,396,463
			कर वसूली योग्य	121,191
			भारत की निधि	-
			जे पील गुट्टी	-
			निरलोन प्रतिष्ठान न्यास	-
			लौडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम	-
			क) हाथ रोकड़	10,342
			ख) बैंक शेष	
			i) जमा खातों में	606,379,544
			ii) बचत खातों में	70,725,190
<b>कुल</b>	<b>1,100,780,232</b>	<b>1,114,232,949</b>	<b>कुल</b>	<b>1,100,780,232</b>
<b>कुल</b>				<b>670,345,293</b>
<b>लेखा परीक्षक की रिपोर्ट</b>				
हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार				
कृते विपुल कुमार एवं कंपनी			राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लिए	
सनदी लेखाकार			और की ओर से	
(फर्म पंजीकरण सं. 015083एन)				
विपुल कुमार (भागीदार)				
एम. एन. : 084803			(सदस्य सचिव)	
स्थान : नई दिल्ली				
दिनांक : 24.12.2020				

## राष्ट्रीय संस्कृति निधि

### अनुसूची 24 एवं 25

तुलन पत्र और आय व व्यय लेखाओं के अभिन्न भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां,  
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां

#### क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

##### 1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपराओं एवं अन्य अनिवार्य लेखा मानदंडों के तहत तैयार किया गया है।

##### 2. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास

क) स्थायी परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है।

ख) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार लिखित मूल्य विधि आधार पर विचार किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान नियत संपत्ति में जोड़/से कटौती के संबंध में हास को समानुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

##### 3. लेखांकन पद्धति

न्यास अपने खातों को रोकड़ आधार पर रखता था, किन्तु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों हेतु अपेक्षाओं को अनुपालित करने के क्रम में न्यास ने वित्त वर्ष 2001-02 के बाद से लेखांकन पद्धति के रोकड़ आधार को बदलकर प्रोद्भवन आधार को अपना लिया है।

##### 4. राजस्व मान्यता

क) न्यास लेखांकन के प्रोद्भवन प्रणाली का अनुपालन कर रहा है और सभी राजस्वों को तब मान्यता दी जाती है, जैसे ही वह प्राप्ति के लिए देय हो जाता है तथा सभी व्ययों को तभी समाकलित किया जाता है जैसे ही वे भुगतान के लिए देय हो जाते हैं।

ख) विशिष्ट परियोजनाओं से आय अर्जन/हानि को संबंधित परियोजना पूर्ण होने के वर्ष में मान्यता दी जाएगी।

##### 5. निवेश

न्यास के पास लेखाओं के समरूप फॉर्मेट में विहित प्रकृति का कोई निवेश नहीं है (अनुसूची 9 एवं अनुसूची 10)

#### ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं को लेखा-बहियों में नहीं दिया गया है, किन्तु उन्हें लेखा-नोट्स के रूप में प्रकट किया गया है।

#### ग) लेखा टिप्पणी

1. अनुसूची 1 में दी गई कॉर्पस/पूंजीगत निधि में मुख्यतः दो भाग हैं यथा—प्राथमिक कॉर्पस एवं द्वितीयक कॉर्पस। विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	प्राथमिक कॉर्पस (राशि रूपये में)	द्वितीयक कॉर्पस (राशि रूपये में)	कुल कॉर्पस
प्रारंभिक शेष	19,50,00,100.00	27,70,47,680.68	49,20,47,780.68
जोड़ – वर्ष के दौरान आय एवं व्यय लेखा से अंतरित आधिक्य	शून्य	4,53,51,751.00	4,53,51,751.00
	<b>19,50,00,100.00</b>	<b>34,23,99,431.68</b>	<b>53,73,99,531.68</b>

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क के तहत छूट प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
3. दिनांक 28.11.1996 की भारत का राजपत्र अधिसूचना के पैरा 15 के अनुसार, एनसीएफ को तुरंत अपेक्षित नहीं निधि की राशि को अल्पकालिक आधार पर सावधि जमाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमाणपत्रों में जमा करना होता है। तदनुसार, इन सावधि जमाओं को न्यास द्वारा “बैंक शेषों—जमा खाते” के अंतर्गत अनुसूची 11 में दर्शाए गए हैं।
4. जहां पर आवश्यक हुआ है वहां पर पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है।
5. अनुसूची 1 से 25, 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और यथातिथि पर समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न हैं।

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी  
सनदी लेखाकार

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लिए  
और की ओर से

(भागीदार)

(सदस्य सचिव)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 दिसम्बर, 2020



**NCF**  
National Culture Fund



**Ministry of Culture**  
Government of India



**ijkrD Hku| 5cbest y| MRGy MW t hlvksiflj|  
v hZ,u,-] ubZinYl 8110023**

**Qka**  
011-24656248,24656251

**hey**  
ncfunesco-culture@gov.in

**osl lv**  
www.ncf.nic.in